सुराज संकल्प, भाजपा विकल्प

राजस्थान विधानसभा

सुराज - संकल्प

2013

भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान प्रदेश

सुराज संकल्प
भाजपा विकल्प

Hkkjrh; turk ikVh] jktLFkku izns'k
fo/kkulHkk puko 2013
Hkktik lqjkt ladYi i= 2013
vuØef.kdk

Ø-	fooj.k		iz"B la[;k
1	प्रदेशवासियों के लिए संदेश – भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे		3
2	चुनाव घोषणा पत्र की प्रस्तावना – श्री गुलाबचंद कटारिया		5
3	राजस्थान के वर्तमान काँग्रेस सरकार के कुशासन, विफलताओं के 5 वर्ष		7
4	राजग (भाजपा) की सरकार संप्रग (काँग्रेस) से बेहतर		9
5	भाजपा शासन 2003–08, भाजपा ने दिया सुराज		11
6	राज्य में विभिन्न वर्गों के लिए हम आने वाले पाँच वर्षों हेतु निम्न घोषणाएं करते हैं		
	1	कृषि एवं किसान	14
	2	गौवंश संवर्धन एवं संरक्षण	17
	3	पशुपालन एवं डेयरी विकास	18
	4	युवा, रोजगार एवं खेलकूद	20
	5	महिला एवं बाल विकास	23
	6	पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास	25
	7	ऊर्जा	26
	8	पेयजल एवं सिंचाई	27
	9	सड़क व परिवहन	29
	10	शिक्षा	31
	11	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	35
	12	कर्मचारी कल्याण	37
	13	अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों का कल्याण	38
	14	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं पाक विस्थापित	40
	15	वन संरक्षण एवं पर्यावरण	42
	16	अल्पसंख्यक कल्याण	43
	17	श्रम कल्याण	44
	18	व्यापार, उद्योग तथा खनिज	45
	19	आर्थिक एवं बजट	48
	20	स्हकारिता	49
	21	पुलिस, पूर्व सैनिक एवं होमगार्ड	50
	22	स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास	51
	23	सुशासन	53
	24	पर्यटन	55
	25	पत्रकार कल्याण	57
	26	वकील कल्याण	58
	27	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	59
7	भाजपा सुराज संकल्प पत्र समिति, 2013		60

I Un'k

सम्मानित प्रदेशवासियों,

सादर नमस्कार।

गौरवशाली एवं खुशहाल राजस्थान के लिए समर्पित इस सुराज संकल्प पत्र को जारी करते हुए मुझे अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। पिछले दिनों चौदह हजार किलोमीटर से भी अधिक की सुराज संकल्प यात्रा में मिले आपके भरपूर स्नेह, प्यार, समर्थन, विश्वास और उत्साह ने मुझे एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान की है। इस नई ऊर्जा के भरोसे ही मेरा यह दृढ़ विश्वास हुआ है कि यह सुराज संकल्प नई सोच और नई उम्मीद के साथ एक नये राजस्थान के सपने को पूर्णता प्रदान करेगा।

हमारे पिछले शासनकाल में हमने राजस्थान के विकास के लिए पुरजोर प्रयास करते हुए प्रदेश को बीमारू श्रेणी से निकालकर अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा किया एवं विकास के नए आयाम स्थापित किए थे। हमने पूरे प्रदेश को एक वृहद् परिवार मानते हुए इसके प्रत्येक सदस्य की खुशहाली तथा उत्थान के साथ–साथ प्रदेश के ऐतिहासिक गौरव एवं आत्मसम्मान को सर्वोपरि माना एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए। हमारी परिकल्पना है कि राजस्थान समग्र रूप से विकसित राज्य बने।

हमारी सुराज संकल्पना पार्टी की मूल निष्ठाओं का पालन करते हुए सुशासन देने की है, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो। इस लोकतांत्रिक प्रणाली में मूल्य आधारित राजनीति का विकास हो। समाज के सभी संप्रदायों, समुदायों को जोड़ते हुए समतामूलक समाज की स्थापना की ओर हम कार्य करें, जिससे देश की एकता को बनाते हुए हम आगे बढ़े।

हमनें अपने विगत शासनकाल में राजस्थान को एक सबल और स्वावलंबी प्रदेश बनाने का स्वप्न देखा था। उक्त प्राथमिकताओं के मद्देनजर ही हमने प्रदेश की जनता के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया था। प्रदेश का कोई नागरिक भूखा न सोए उनके लिए अक्षय कलेवा, बच्चों के स्वास्थ्य हेतु स्कूल में मिड–डे–मील योजना, पन्नाधाय, भामाशाह योजना एवं हाडी रानी बटालियन ऐसे विकास के कार्य है जिसके बारे में आप सब परिचित है। किंतु अफसोस! प्रदेश में निवर्तमान कांग्रेस के शासन में हमारे द्वारा लागू की गई, सारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब सरकार के लेखे–जोखे का समय है, एक तरफ ऐसा दल आपके सम्मुख है, जिसने प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्राण–पण से अपना योगदान दिया। दूसरी तरफ ऐसा दल है जिसने प्रदेश में सभी स्तरों पर अराजकता,

आर्थिक विषमता, सामाजिक असंतोष, महंगाई एवं भ्रष्टाचार का ऐसा कुचक्र रचा जिससे प्रदेश की गरिमा को ठेस पहुंची।

यहां मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जो कुछ कहेंगे उसे कर दिखाएंगे। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आने वाले 5 वर्षों के लिए आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती है जिसके लिए हम यह घोषणा पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाले चुनावों में अपने मतों का विवेकपूर्ण उपयोग कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनायेंगे ताकि विकास की धारा को और गतिशील, प्रभावी एवं अविरल बनाया जा सके और हमारे जीवन में खुशहाली की बयार बहती रहे।

मैं स्वयं को इस सुराज संकल्प पत्र में वर्णित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रति समर्पित करते हुए आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम आपको एक ऐसी शासन व्यवस्था देंगे जो कि आपकी अपनी होगी। जो स्थायी, संवेदनशील, जवाबदेह, ऊर्जावान, आधुनिक विचारों से ओत–प्रोत तथा प्रगतिशील होने के साथ–साथ राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पारम्परिक विरासत का पूर्ण सम्मान करेगी। मेरी परिकल्पना है कि राजस्थान समग्र रूप से विकसित एवं आधुनिक प्रदेश बने तथा देश में विकास की दृष्टि से प्रथम पंक्ति में अपना स्थान बनाएं। हमने कुछ सपने संजोए और कुछ संकल्प लिए। निःशक्त, निर्बल एवं निर्धन वर्गों को संबल प्रदान करना मेरी प्राथमिकताओं में सदैव रहा है और आगे भी रहेगा। हम राजस्थान के विकास के लिए प्राण–पण से जुटे रहेंगे और राज्य को इस स्तर तक ले जाएंगे कि आप सभी गर्व से कह सकें, जय–जय राजस्थान। आओ साथ चलें, प्रगति पथ पर।

Hkkjr ekrk dh t;A

vkid lg;kx dh vkdk{kk e]

ol/kjk jkt

in'kk/;{k

iLrkouk

राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हर सरकार की एक दिशा होती है। प्रदेश की जनता साक्षी है कि श्रीमती वसुंधरा राजे सरकार के शासनकाल में राज्य का चहुंमुंखी विकास हुआ तथा प्रदेश को पिछड़े और बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर तेजी से विकासशील प्रदेशों की अंग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया।

किन्तु दुर्भाग्य से 2008 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल गया और वसुंधरा राजे सरकार के विकास कार्यक्रमों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को गहलोत सरकार ने रोक दिया। परिणामस्वरूप प्रदेश में आर्थिक एवं प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया। यह सच्चाई हर व्यक्ति के सामने हैं। गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए तथा प्रदेश के मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकार के मंत्री चैक के बदले वोट मांग रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से राज्य की कांग्रेस सरकार अपने वोट बैंक भुनाने में लगी है चार सालों तक जनता को भुलावे में रखकर अब पांचवे साल में मतदाताओं को रिझाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। प्रदेश में भ्रष्टाचार एवं महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रहे है। भाजपा के विगत शासनकाल में मंहगाई नियंत्रण में थी, भ्रष्टाचार पर अंकुश था। आम आदमी को अपनी जरूरत की चीजों की चिंता नहीं थी। इस सरकार में तानाशाही प्रवृत्ति चरम पर है, जिसे आम आदमी की चिंता नहीं। प्रदेश की जनता को 5 माह का नहीं अपितु पूरे पांच साल का सम्मान चाहिए। भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई 32 जनकल्याणकारी योजनाओं को इस सरकार ने आते ही बंद कर दिया। हमारे विगत शासनकाल में हमने बेरोजगार भत्ता योजना शुरू की थी, अगर साढ़े चार साल पहले ही बेरोजगारों के बारे में यह सरकार सोचती तो उन्हें कितना लाभ पहुंचता। हमारे कार्यकाल में हमने तो 1,38,000 बेरोजगारों को भत्ता दिया जबकि यह सरकार 18 हजार बेरोजगारों को ही भत्ता दे पाई। पूरे प्रदेश में जमीनों की सौदेबाजी हो रही है, सरकारी भू–माफिया पनप रहे है। इस सरकार की निष्ठा है एक परिवार के प्रति, एक दामाद के प्रति। राजस्थान में राबर्ट वाड्रा को औने–पौने दामों में प्रदेश की बेशकीमती जमीनें दे दी और सरकारी खर्चे से उस क्षेत्र को इतना सरसब्ज बनाया जा रहा है ताकि राबर्ट वाड्रा की जमीनों के दाम बढ़ सके। यह पारिवारिक निष्ठा प्रदेश की जनता के साथ सरासर धोखा है।

सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के अलावा दुराचार में भी फंसे हुए है। प्रदेश की गरिमा को जो ठेस इस सरकार ने पहुंचाई वह अपूरणीय है। यह सरकार एक ऐसी सरकार है जो पूर्णरूप से आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस सरकार ने प्रदेश को नहीं बल्कि स्वयं को विकसित किया है। इस सरकार का दामन दागदार है। इस सरकार ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं दवाईयों में भी घोटाला किया है। जोधपुर में अवैध रूप से खान आवंटन घोटाले में सरकार के मुखिया भी संदेह के घेरे में है। न्यायपालिका ने भी इस सरकार को

जंगलराज कहा है। इस सरकार में मंत्री परिषद के सदस्य विवादों के घेरे में है जो खनन माफिया एवं शराबमाफिया, तेल माफिया एवं भू–माफियाओं को संरक्षण प्रदान करने में लिप्त है।

हमनें भाजपा के विगत शासनकाल में विकास कार्य का जो परचम लहराया था उसे आगे गति देने की आवश्यकता है। जिस समृद्धि की तस्वीर हमने बनाई थी उसमें रंग भरने का अब समय आ गया है। गहलोत सरकार ने पांच वर्षों में इस तस्वीर पर धूल की मोटी परत चढ़ा दी है अब आवश्यकता है कि सरकार फिर धूल पोंछकर उस तस्वीर पर जीवन और खुशहाली के रंग भर दे। इस पुनीत भाव एवं संकल्प के साथ हम आपके समक्ष स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं।

हम राज्य को एक उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा जो वैश्विक स्तर के अनुकूल हो देना चाहते हैं। इसमें स्तरीय सड़कें, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार साधनों का निर्माण तथा उपलब्ध करना हमारी प्राथमिकता होगी। हम राज्य को पानी की कमी की समस्या से निजात दिलाने और इसे अकाल मुक्त राज्य की श्रेणी में लाने के लिए वचनबद्ध है।

राज्य में तीव्र गति से रोजगार सृजित कराना ही हमारी प्राथमिकता है। जिससे राज्य की जनता के जीवन स्तर और खुशहाली को बढ़ाने तथा उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का हमारा सपना साकार हो सके। हम राज्य की महिलाओं का खोया हुआ सम्मान पुनः लौटाना चाहते है उन्हें स्व–रोजगार के साधन मिले तथा अच्छी चिकित्सा मुफ्त शिक्षा, एवं जीवन यापन की मूलभूत सुविधाएं मिले, सत्ता में सहभागिता हो, हम इसके लिए प्रतिबद्ध एवं समर्पित है।

हम संपूर्ण मानव विकास अभियान की अभिनव प्रतिज्ञा के प्रति वचनबद्ध है ताकि श्रीमती वसुंधरा राजे के सुरक्षित, समृद्ध और स्वावलंबी राजस्थान के अधूरे सपने को विश्वास के साथ पूरा कर सकें। हम विश्वास दिलाते है कि समाज के हर वर्ग चाहे वह किसान हो, कर्मचारी हो, अनुसूचित जाति व जनजाति का हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, पूर्व सैनिक हो, विद्यार्थी हो, भूमिहीन या खेतीहर मजदूर हो को आगे बढ़ने का पूरा अवसर देंगे तथा उनका सम्मान पुनर्स्थापित करेंगे।

हमारा सपना है कि राज्य उन्नत हो, बीमारू की श्रेणी से निकलकर विकास के अंग्रिम पायदान पर हो राज्य का जन–जन खुशहाल हो समृद्ध हो, सभी के सम्मान की पुनर्स्थापना हो, राज्य को आर्थिक एवं प्रशासनिक कुप्रबंधन से मुक्ति मिले। प्रदेशवासियों का गौरव राज्य को पुनः प्रगति के पथ पर अग्रसर करे, यही है हमारा और आपका सपना। आप और हम सब मिलकर इसे पूरा करें, यही अपेक्षा है।

xyk cpn dVkfj;k

v/;{k

Hkktik ljkt ldYi i= lfefr

jktLFkku dh orZeku dkxzsl ljdkj ds
dk;kZu] foQyrkvksa ds 5 o"kZ

1. **fodkl nj** % वर्ष 2012–13 में केन्द्र सरकार की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में राजस्थान कीविकास दर 5.4प्रतिशत है। जो भारत के राज्यों की विकास पायदान के सबसे निचले राज्यों में से है।
2. **fctyh** % 9 बार बिजली दरें बढ़ाकर राजस्थान की जनता पर 1600 करोड का भार। केन्द्रीयऊर्जा मंत्रालय की परफोर्मेसरेटिंग में राजस्थान का नीचे से दूसरा स्थान। ग्रामीण क्षेत्रों में 8–10 घंटे से ज्यादा घरेलू4 घंटे से ज्यादा कृषि और 6–7 घंटे से ज्यादा औद्योगिक बिजलीनहीं।
3. **ikuh** % दूषित पानी पीने वाले राज्यों में राजस्थान देश में पहले नम्बर पर। करीब 62 हजार से ज्यादा ढाणियां स्वच्छ पेयजल से वंचित। राजस्थान में 35 प्रतिशत लोगों को भी पूरा पानी नहीं मिल रहा। राजस्थान में सिर्फ 40 फीसदी लोग ही नल का पानी पीते है। केन्द्र कीरिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 48 प्रतिशत जल स्त्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं है, यानिकरीब आधा राजस्थान दूषित जल पीने को मजबूर है।
4. **fdlku** % नकली और महंगे खाद बीज से किसान परेशान। उन्हें फसल खराबे का मुआवजानहीं। राजस्थान में भी आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान।
5. **fpfdRlk** % 44 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार। कन्या भ्रूण हत्या के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में। गांवों में चिकित्सकों का हर चौथा पद खाली। स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों के मामले में राजस्थान का देश में दूसरा नम्बर। मुफ्त दवा योजना में नकली, अवधि पार औरसेम्पल फेल हो चुकी दवाओं का वितरण।

6- **lMd** %&

5 वर्ष कार्यकाल	स्व. श्री भैरोंसिंह	श्री अशोक गहलोत	श्रीमती वसुंधरा राजे	श्री अशोक गहलोत
किलोमीटर	13400	9507	40000	9000
गांव जोड़े	3920	1537	10222	1500

7. **f'k{kk** % शिक्षा में 22वें पायदान पर। महिला साक्षरता में देश में सबसे पीछे। मिड–डे–मील मेंआए दिन परोसा जा रहा है, जहरीला भोजन। जयपुर में सरकारी विद्यालय फुटपाथ पर।राज्य के 875 सरकारी स्कूल बिना भवन और 14 हजार 719 स्कूलों में सिर्फ एक–एकटीचर। प्रदेश के 5 हजार स्कूलों में योग्य शिक्षक, 2 हजार स्कूलों में प्रधानाध्यापक, 1900 स्कूलों में भवन और साढ़े सात हजार स्कूलों में प्रयोगशालाऐं नहीं। पांचवी कक्षा के 42 प्रतिशत बच्चे कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पाते। 4 हजार 361 स्कूलों में नहीं पेयजल की व्यवस्था। 48 हजार 729 स्कूलों में बिजली नहीं। 36 हजार 144 स्कूलों में निःशक्त विद्यार्थियों के लिए रैम्प नहीं।

30540 स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के लिए नहीं रूम। 45 हजार 415 स्कूलों में नहीं है खेल का मैदान। 15 हजार 910 स्कूलों में चारदीवारी तक नहीं है। 70 हजार पद रिक्त है शिक्षको के।

8. jkstxkj % सरकारी नौकरियां नहीं। 7 लाख 32 हजार रजिस्टर्ड बेरोजगार, जिनमें से सिर्फ 10 हजार को रोजगार 18 हजार स्नातक युवाओं को सिर्फ 92 लाख बेरोजगारी भत्ता। मनरेगा में भ्रष्टाचार, रोजगार के दिन घटे। रोजगार की तलाश में प्रदेशवासियों का दूसरे राज्यों में पलायन।

9. egaxkbZ % आसमान छूती महंगाई पर सरकार नियंत्रण करने में असफल। जो डीजल हमारी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में 22 रुपए लीटर था, वह आज 55 रुपए से ऊपर है और जो पेट्रोल हमारे समय में 30–32 रुपए लीटर था, आज 73 के पार है। महंगाई की सबसे अधिक मार आम और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रही है।

10. Hkz"V 'kklu % भ्रष्टाचार के प्रकरणों में राजस्थान देश में पहले नम्बर पर। मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर पहली बार मीडिया ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। पूरी सरकार जमीनों की सौदेबाजी में लिप्त रही। रिफाइनरी के नाम पर जमीनों के धंधे किए। मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने केलिए सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को नियम विरूद्ध 10 हजार बीघा जमीन दिलवा कर उसे करोडों रुपयों का फायदा पहुंचाया।

11. dانून 0;oLFkk % राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राजस्थान देश में दूसरा असुरक्षित राज्य। राजस्थान की राजधानी अपराधों में देश में तीसरे नम्बर पर। साढ़े चार साल में 40 हजार 539 लोग गायब, जिनमें से 24 हजार 757 महिलाएं और बालिकाएं। 3 हजार 195 महिलाओं और बालिकाओं का आज तक पता नहीं। अवैध शराब बनाने में जयपुर चौथे और दौसा पहले नम्बर पर। वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण 4 सालों में 72 हजार करोड खर्च नहीं कर पाई यह सरकार। प्रदेश अब तक का सर्वाधिक 2 लाख करोड कर्जा। राजस्थान राज्य में पैदा होने के साथ ही प्रत्येक शिशु 15 हजार रुपए का कर्जदार बन जाता है।

12. nfyr lenk; % दलित अत्याचार में राजस्थान पहले नम्बर पर। कुल योजना खर्चों का 12.56 प्रतिशत जनजाति और 17 प्रतिशत दलितों के विकास पर खर्च किया जाना था, लेकिन जनजाति और दलितों पर सिर्फ 5 प्रतिशत ही खर्च किया गया। योजना आयोग की सदस्या और राजस्थान की प्रभारी डॉ. सईदा हमीद ने राजस्थान में दलितों की स्थिति पर खासी चिंता जताई है। आदिवासी उत्पीड़न में प्रदेश देश में दूसरे नम्बर पर।

13. efgyk % यह सरकार महिला विरोधी है। बढ़ते महिला अत्याचारों ने राजस्थान को पूरे देश में बदनाम कर दिया है। कांग्रेस सरकार के मंत्री एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही महिला उत्पीड़न में अग्रणी रहे है। महिला उत्पीड़न में राजस्थान प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। इस महिला विरोधी सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने की भामाशाह योजना को रोक दिया है।

jktx ¼Hkktik½ dh ljdkj lizx ¼dkaxzsl½ ls cgrj

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) बनाम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)। राजग का कार्यकाल 1998 से 2004 तक 6 वर्ष रहा और संप्रग 2004 से देश पर शासन कर रही है, यानी उसने 9 साल पूरे कर लिए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्ववाली राजग सरकार के समय जहां देश में सुशासन का दौर रहा वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार कुशासन का पर्याय बन चुकी है।

संप्रग शासन में आर्थिक कुप्रबंधन के चलते अराजकता व्याप्त है। महंगाई बेलगाम है। चीनी, खाद्य तेल, दालों, सब्जियों, दूध और कई अन्य खाद्य और अखाद्य वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण लोगों को दो वक्त का भोजन जुटाने में भी पसीने छूट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के महारोग ने देशवासियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।

ऐसे में देश की राजग सरकार को जनता याद करने लगी है। उस समय साफ–सुथरी सरकार थी। आर्थिक व्यवस्था मजबूत थी। रुपया बहुत मजबूत था, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। महंगाई नियंत्रित थी। कालाबाजारी खत्म हो गई थी। बुनियादी ढ़ांचे का बड़ी तेजी से विकास हुआ था। सड़क संपर्क और दूरसंचार संपर्क बेहतर हुआ। कृषि की सुगठित व्यवस्था के लिए कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की क्षमता बढ़ गई। 1998 में परमाणु परीक्षण से लोगों का स्वाभिमान ऊंचा हुआ। यानी भारत की साख और धाक मजबूत हुई।

jktx ¼Hkktik½ vkSj lizx ¼dkaxzsl½ dk rqyukRed C;kSjk

vFkZ;oLFkk **jktx** % घोटालामुक्त साफ–सुथरी सरकार। **lizx** % घोटाला का अंतहीन सिलसिला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 2जी घोटाला, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, नोट के बदले वोट घोटाला, आदर्श कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाला, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड–देवास मल्टीमीडिया घोटाला। **fodkl** **jktx** % राजग ने 4 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद विकास से शुरूआत की थी और वह देश को 8 प्लस प्रतिशत विकास के पथ पर ले आई। **lizx** % संप्रग को 8 प्लस प्रतिशत जी.डी.पी. की विकास दर विरासत में मिली थी और यह इसे कम करके 4 प्रतिशत विकास दर पर ले आई है। **jkstxkj** **jktx** % 8 मिलियन नौकरियाँ **lizx** % केवल 2 मिलियन नौकरियों का सृजन किया है। **;krk;kr** **jktx** % राजपथों का निर्माण प्रतिदिन 11 कि. मी. के स्तर पर पहुंच गया था।	**lizx** % प्रतिदिन 22 कि.मी. राजपथ बनाने के बड़े–बड़े वायदे के बावजूद यह मात्र 3 कि.मी. प्रतिदिन रह गया है। **xSl dusD'ku** **jktx** % राजग ने चार वर्षों के दौरान 40 मिलियन अतिरिक्त परिवारों का गैस कनेक्शन देना सुनिश्चित किया था। **lizx** % संप्रग सरकार गत 9 वर्ष के कार्यकाल में इन आंकड़ों के बराबर भी नहीं पहुंची है। **vkradokn** **jktx** % पोटा कानून बनाया। कारगिल विजय अभियान। **lizx** % जुलाई 2005 से अब तक देश के विभिन्न भागों में 25 बड़े आतंकवादी हमले हुए, जिनमें करीब 500 निर्दोष भारतीय मारे गए। **lo/kkfud lLFkk,a** **jktx** % संवैधानिक संस्थाओं की साख बनी रही। **lizx** % केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवसी) और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) पर हमला। सीबीआई को राजनीतिक हथियार बनाया। **lhch; <kpk** **jktx** % सभी राज्यों पर ध्यान दिया। **lizx** % गैर कांग्रेसी एवं गैर यूपीए राज्य सरकारों के साथ भेदभाव जारी।

अटल जी के 6 वर्षीय शासन का निष्पक्ष आकलन करेंगे तो उसे स्वीकारना ही होगा कि 1998 से 2004 तक का एनडीए शासन उपलब्धियों से भरा है और उसमें अक्षरशः कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। उस अवधि की कुछ उपलब्धियों को यदि सार रूप में कहना है तो वे निम्नलिखित हैं :–

1. प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीनों में भारत परमाणु हथियार सम्पन्न देश बना।
2. आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने आधारभूत ढ़ांचे, राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, सिंचाई, ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित किया।
3. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में भारत को सुपर पॉवर बनाया।
4. अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद, अटलजी ने एनडीए के 6 वर्षीय शासन में मुद्रास्फिति पर सफलतापूर्वक नियंत्रण रखा।
5. 6 वर्षीय शासन, सुशासन, विकास और गठबंधन का मॉडल बना।
6. सरकार के विरूद्ध भ्रष्टाचार की कोई चर्चा तक नहीं थी।
7. नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना की नींव एक टास्क फोर्स ने रखी जिसके लिए एक केबिनेट मंत्री को मुक्त कर इस कार्य में जुटाया गया।

इसलिए सन् 1947 से अब तक के प्रधानमंत्रियों के लेखा–जोखा की बात करते समय यह कहा जा सकता है कि श्री अटलबिहारी वाजपेयी का कार्यकाल सबसे ज्यादा उपलब्धियों भरा रहा है।

Hkktik 'kklu % 2003&2008

Hkktik us fn;k lqjkt

cuk;s u;s dhfrZeku % राजस्थान में भाजपा सरकार के समय प्रदेश ने विकास के हर क्षेत्र में कई नये कीर्तिमान स्थापित किए। राज्य की विकास दर में भारी बढ़ोतरी हुई। दशकों से पिछड़ा और बीमारू राजस्थान भाजपा शासन के दौरान देश के विकसित और अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा हो गया।

df"k ,oa m|ku % राजस्थान इनोवेशन फाउण्डेशन, बी.टी. कपास की खेती, किसान कल्याण कोष की स्थापना, कृषक जीवन कल्याण योजना, संविदा खेती, राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप, कृषि निर्यात जोन, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, टर्मिनल मार्केट, राज्य किसान आयोग का गठन, किसान भवन, मौसम बीमा योजना, राजस्थान होर्टिकल्चर एण्ड नर्सरी सोसायटी का गठन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन।

lk'kikyu % पशुपालक बीमा योजना अविरक्षक योजना), अविकापाल जीवन रक्षक योजना, अविका कवच योजना, पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन, कामधेनु योजना (गायों की बीमा योजना), गौपालक (गौपालकों की बीमा योजना), गौरक्षक (गौपालकों की बीमा योजना)

fcTyh % नई कृषि कनेक्शन नीति जारी कर प्रदेश की कृषि व्यवस्था को नई दिशादी। प्रदेश के इतिहास में पहली बार घरेलू बिजली की अलग से लाईन देकर गांवों में भी 20 से 22 घंटे बिजली देने का कीर्तिमान स्थापित किया। बिजली की दरें न्यायसंगत रखी। बीपीएल की बिजली दर 1.70 रुपए से घटाकर 85 पैसे प्रति यूनिट की। उद्योगों को 24 और किसानों को 8 घंटे बिजली दी। 100 से कम आबादी वाली ढाणियों को बिजली से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना शुरू की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विजय ज्योति फीडर सुधार कार्यक्रम। विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु नीति। राज्य में विद्युत की उपलब्धता में औसतन 15 प्रतिशत की वृद्धि। किसानों के लिए अतिरिक्त विद्युत की खरीद। 72 घंटे में जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलना। ड्रिप/स्प्रींकलर का उपयोग करने वाले किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट की विद्युत शुल्क में छूट। गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ाने की नीति। 34 विद्युत चोरी थानों की स्थापना।

ikuh % ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक फ्लोराइड युक्त पानी के स्थान पर पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पहली बार राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस निवारण कार्यक्रम प्रारंभ किया। बीसलपुर से अजमेर एवं इन्दिरा गांधी नहर से नागौर जैसी बड़ी परियोजना भाजपा सरकार ने शुरू की। जयपुर शहर को बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत जलापूर्ति करने की पहल की गई। खारे पानी के क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वृहद् परियोजनाएं शुरू की। पानी की कमी और प्रदूषण रहित पानी के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरानी पाईप लाईनों को बदलने का कार्य पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर किया गया।

lMd % 9 नये राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 1200 किमी मेगा हाईवे का निर्माण किया। 500 की आबादी के गांव–ढाणी को सड़क मार्ग से जोड़कर 250 तक की आबादी में सड़कों की स्वीकृति। केन्द्र सरकार और वर्ल्ड बैंक ने सड़क निर्माण में हमारी भाजपा सरकार को देश में प्रथम स्थान दिया। भाजपा सरकार ने करीब 40 हजार किमी सड़कें बनाकर 10 हजार 300 गांवों को सड़कों से जोड़ा। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री सड़क योजना शुरू की। रीडकोर की स्थापना, सड़क विकास निधि अधिनियम–2004, बेरोजगार इंजीनियर्स को 10 लाख रुपए तक के कार्य बिना टेंडर के देने की योजना।

fpfdRlk % स्वास्थ्य सूचकांक में भाजपा शासनकाल में राजस्थान दूसरे स्थान पर था। एसएमएस सहित सभी 6 मेडिकल कॉलेजों, उनसे सम्बद्ध 6 चिकित्सालयों, 26 जिला अस्पतालों

एवं 6 मोबाईल युनिट के माध्यम से टेली मेडिसिन सुविधाएं शुरू की। राज्य के सबसे बड़े एसएमएस चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए न्यूयार्क के नॉर्थशोर हॉस्पिटल से एमओयू किया। लेकिन सरकार चले जाने की वजह से यह काम पूरा नहीं हो सका। डॉक्टर आपके द्वार योजना शुरू की। 108 ऐम्बुलेंस योजना शुरू की। जननी सुरक्षा योजना शुरू की, जिसमें सरकारी या अधिकृत निजी अस्पताल में प्रसव कराने वाली ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपए तथा शहरी महिलाओं को 1000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते थे। राज्य में गिरते लिंगानुपात और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बालिका सम्बल योजना शुरू की गई।

fpfdRlk f'k{kk % अमरीका की अप्रवासी संस्था द्वारा सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के आपातकालीन यूनिट एवं ट्रोमा यूनिट में सहायता। राजस्थान में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना, अभिलाषा योजना, जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्तर का चिकित्सालय, चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन करने हेतु नीति। टेलीमेडिसिन परियोजना। चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक एवं उपचार सुविधा।

f'k{kk % समूचे राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क की। 12वीं तक सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई। भाजपा सरकार को वर्ष 2006 में शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्फ्यूसियस पुरस्कार मिला। कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एजूकेशन ऑन व्हील्स शुरू की। सभी मदरसों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। कक्षा 1 से 12 तक की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूटी, साईकिल और बाउचर योजना शुरू की, जिसका अन्य प्रदेशों ने भी अनुसरण किया।

jktxkj % 10 लाख युवाओं को सरकारी और गैरसरकारी नौकरियां दी। रोजगार सहायता शिविर लगाकर बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां दिलवाई। गुर्जर सहित विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का विधानसभा में विधेयक और संकल्प पारित किया। अक्षत योजना शुरू कर भाजपा सरकार में 1 लाख 36 हजार बेरोजगारों को करीब 7 करोड रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया। लाईवलीहुड मिशन योजना शुरू कर युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

egxkbZ %&

ljdkj	शक्कर प्र.कि	चावल प्र.कि.	गेहूं प्र.कि.	चाय प्र.कि.	पेट्रोल प्र.ली.	डीजल प्र.ली.	सोना प्र.तो.	चांदी प्र.कि
श्रीमती वसुंधरा राजे	18 रु.	26 रु.	10 रु.	110 रु.	45 रु.	33 रु.	9995 रु.	9424 रु.
श्री अशोक गहलोत	40 रु.	32 रु.	19रु.	200 रु.	73 रु.	65 रु.	32200 रु.	50500रु.

t;iqj fodkl izkf/kdj.k % आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण संस्था का गठन, म्यूजिक इन पार्क, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) अमर जवान ज्योति का निर्माण, एरिया ट्रेफिक कंट्रोल सिस्टम, ट्रेफिक पार्क, लैण्ड बैंक, खोले के हनुमानजी मंदिर परिसर का सौन्दर्यीकरण, जल महल परियोजना, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के द्वारा निर्मित कियोस्क में 30 प्रतिशत आरक्षण, शूटिंग रेंज की स्थापना।

Lok;Rr 'kklu ,oa uxjh; fodkl % वर्षा जल के अनिवार्य रूप से संचयन हेतु नियम, किराया गृह योजना, नया नगरपालिका एक्ट, अक्षय कलेवा योजना, बैकुंठ द्वार मुक्तिधाम

योजना, मानव संसाधन विकास परियोजना, जलपुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, ठोस कचरा प्रबंधन, सिटीजन हैल्प लाईन, जवाहरलाल अरबन रिन्यूवल मिशन, लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु आधारभूत ढांचा विकास योजना, समन्वित आवास एवं स्लम विकास योजना, विरासत संरक्षण योजना, शहरी जनसहभागी योजना, जयपुर हैरिटेज कमेटी।

[kk| lqj{kk % फूड स्टेम्प योजना, राशन टिकिट योजना, राजस्थान के समस्त क्षेत्रों में केरोसीन की समान दर। राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष, बीपीएल सूची में सम्मिलित होने से वंचित परिवारों को सहायता।

lkekftd U;k; ,o vf/kdkfjrk % अनुप्रति योजना, पालनहार योजना, विश्वास योजना, पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, पेंशनधारी विकलांगों हेतु स्वावलंबी प्रोत्साहन योजना, स्वच्छकारों के बच्चों को रोजगार। आस्था योजना, भिक्षावृत्ति एवं अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु निःशुल्क आवासीय विद्यालय सुविधा, राज्य वृद्धजन नीति, ओल्ड एज होम्स, राजस्थान राज्य भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवाश्रम नियम, 2004 5 नारी निकेतनों की स्थापना, पन्नाधाय जीवन अमृत (जनश्री बीमा) योजना, मूक–बधिर व नेत्रहीन बालकों हेतु विशिष्ठ शिक्षण संस्था, महिला छात्रावास, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों हेतु 100 नवीन छात्रावास, पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन, बीपीएल परिवारों के बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता सुविधा।

l|'kklu % भाजपा सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन की केन्द्र सरकार ने सराहना की। पांच वर्ष में एक दिन भी ओवर ड्राफ्ट नहीं लेने का कीर्तिमान बनाया। परिसम्पत्तियों का अधिकतम निर्माण किया और हमेशा राजस्व सरप्लस की स्थिति रही। कृषि बजट में तीन गुणा वृद्धि के साथ ही औद्योगिक निवेश में बढ़ोतरी हुई। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना लागू की।

nfyr&vkfnoklh % भाजपा सरकार में अम्बेडकर पीठ की स्थापना की गई। दलित उत्थान की दृष्टि से यह एक बड़ा कदम था। जनजाति के लोगों के खिलाफ न्यायालय में विचाराधीन 2 वर्ष से अधिक पुराने और 2 साल से कम की सजा के प्रावधान वाले मुकदमों को वापस लिए जाने का फैसला लिया गया। वन भूमि पर आदिवासियों को पट्टे देने का भी निर्णय लिया गया, मां–बाड़ी केन्द्र, जनजाति क्षेत्रों में एस.टी. के लिए 45 प्रतिशत विशेष आरक्षण, आयोडिन की कमी को दूर करने हेतु एक किलोग्राम आयोडिनयुक्त नमक प्रतिमाह उचित मूल्य पर, केशव बाड़ी योजना, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में टापरी एवं झोंपड़ी के आग से नष्ट होने पर सहायता योजना।

efgyk % भाजपा सरकार ने महिलाओं को पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भामाशाह नारी सशक्तिकरण योजना शुरू की, जिसका लाभ 50 लाख महिलाओं को मिलता, लेकिन कांग्रेस की इस महिला विरोधी सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। आपकी भाजपा सरकार की ऐसी सैकड़ों अभिनव योजनाएं थी, जिन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला और वे प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित हुई। कई योजनाओं का तो दूसरे राज्यों में भी अनुसरण किया।

/kjkgj lqj{k.k ,o ikUurh % गत भाजपा शासन में राजस्थान में धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नती प्राधिकरण का गठन कर राज्य के ऐतिहासिक महापुरूषों, भक्तों, लोक देवता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक निर्मित किये, जो आज जन आस्था के केन्द्र बन चुके हैं। बुढ़ा पुष्कर एवं साहवा सरोवर का पुनर्निर्माण श्रद्धालुओं का आस्था केन्द्र बन गया है।

1. कृषि – किसान

1. किसानों के सिंचित क्षेत्र में आबयाना व लगान को माफ करने की व्यावहारिकता के सभी पक्षों का परीक्षण किया जाएगा।
2. न्यूनतम मजदूरी की दरों को महंगाई सूचकांक को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जायेगा।
3. राजस्थान में कृषक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगा।
4. किसानों को खाद, बीज एवं दवाईयां सरकारी दर पर आवश्यकता के अनुसार पंचायतवार उपलब्धी सुनिश्चित की जाएगी।
5. किसानों को अपनी पैतृक भूमि का बंटवारा सामान्य आवेदन पर बिना स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य शुल्क रहित बंटवारा किया जाकर मौके पर बंटवारे के आधार पर तीन माह की अवधि में खाता अलग किया जाएगा।
6. किसानों की उपज को लाभकारी बनाने हेतु समर्थन मूल्य सरकार द्वारा खरीदी की जाएगी। बोनस की राशि उपज अनुसार किसानों को सीधे ही उनके खाते में नकद दी जाएगी।
7. न्यूनतम समर्थन मूल्यों की परिधि में मोंठ मूंग, मेंहदी, चौला, ग्वार, जीरा, बाजरा, धनियां, लहसुन, ईसबगोल, ग्वारपाठा, अरण्डी सहित सभी प्रकार की कृषि उपजों एवं वनोपजों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
8. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्थाई तंत्र विकसित किया जाएगा।
9. कृषि बीमा कराने वाले किसानों के नुकसान का आकलन **ग्राम पंचायत** आधारित कराए जाने हेतु पुरजोर प्रयास किया जाएगा।
10. किसान क्रेडिट कार्ड भूमि के ''डीएलसी रेट/बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड की सीमा निर्धारित की जाएगी।''
11. किसान द्वारा बैंकों से ऋण लेने पर डी.एल.सी./बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक रूप में भूमि गिरवी रखने की नीति निर्धारित की जाएगी।
12. ट्रेक्टर पर ऋणों के लिए बैंकों में वास्तविक दरों के बिलों में लिखा जाने के लिए नियम बनाकर उसकी निगरानी की जाएगी।
13. जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु तारबंदी हेतु अनुदान दिया जाएगा।
14. किसान की भूमि में खनिज संपदा मिलने पर उसके दोहन में किसान के अधिकार के विषय में व्यावहारिक नीति बनाई जाएगी।
15. राजस्थान में भूमि अवाप्त होने पर संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा व सुविधाए दी जाएगी।
16. प्रत्येक गांव व शहर का मास्टर प्लान बनाकर विकास की पंचवर्षीय योजना बनाकर क्रियान्वित की जाएगी।
17. खेतों में कृषि कार्य करते हुए एवं पशु चराते समय दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर 5 लाख व गंभीर घायल होने पर 1 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
18. प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक आधुनिक मिट्टी–पानी प्रयोगशाला, एक कृषि विशेषज्ञ एवं एक प्रामाणिक व गुणवत्ता पूर्ण उर्वरक व बीज विक्रय केन्द्र स्थापित किएजाएंगे।
19. राजस्थान की जलवायु की विषमता को देखते हुए कम पानी में पनप सकने वाले तथा ईंधन देने वाले पेड़ों यथा खेजड़ी एवं नर्सरी लगाने के कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा।

20. फसल बीमा योजना के लिए पूर्ण समीक्षण कर फसल बीमा योजना के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी।
21. राज्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र रोजगार योजना/ एक्ट को तुरन्त प्रभाव से लाया जाएगा। जिसमें कृषि, पशुपालन व अन्य सभी कृषि क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।
22. पिछले दशक में सब्जियों और फलों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। सब्जियां और फल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने हेतु ग्रीन हाउस, नेट हाउस आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा।
23. जिलेवार तथा एग्रो क्लाईमेटिक जोनवार काश्तकारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोल्ड स्टोरेज और एग्रो प्रोसिसिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।
24. कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन और निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
25. पर्यावरण व उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृषि में रासायनिक उर्वरकों व कीट नाशकों के अंधाधुंध प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए जैविक खेती निदेशालय की स्थापना की जाएगी।
26. **''राजस्थान मुख्यमंत्री काश्तकार सहभागिता योजना''** के तहत किसानों के आवश्यकतानुसार योजनाओं की क्रियान्विति की जाएगी।
27. कृषि विकास एवं राहत कोष की स्थापना की जाएगी, जिसके द्वारा किसानों को आवश्यकतानुसार राज्य आपदा कार्रवाई कोष के तहत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त सुविधा भी नीतिगत निर्णय के तहत दी जा सके।
28. मंडी से जुड़ी सड़कों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
29. कृषि उत्पादो/Organic उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणीकरण (Certification) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विषेशकर TSP क्षेत्र के कृषि पैदावार के लिए।
30. Israel से कृषि/उद्यानिकी तकनीक के आदान–प्रदान के संबंध में पूर्व में किए गए सार्थक प्रयास के संबंध में खजूर तथा Olives की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
31. कृषि विभाग के अन्तर्गत ''पुष्प कृषि विभाग'' का गठन किया जाएगा, ताकि पुष्प की खेती को बढ़ावा मिले और देश/विदेश में निर्यात संभव हो सके।
32. कृषि, उद्याानिकी, पशुपालन, अकाल राहत तथा पुष्प–कृषि के विभागों में परस्पर समन्वय हेतु प्रशासनिक संस्थागत व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
33. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) के सहयोग से प्रदेश में इसबगोल (Psyllium Husk),ग्वार(Guar)केAgri Export Zones (AEZ) की स्थापना के प्रयास किए जाएगें जिससे काश्तकारों की आय में वृद्धि हो।
34. बीकानेर की ऊन मंडी सहित प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण हेतु सार्थक प्रयास किएजाएंगे।
35. श्री गंगानगर में Kinnow के लिए Post-Harvest-Facility विकसित करने पर विचार किया जाएगा।
36. प्रदेश में "Warehouse Regulatory and Development Authority" का गठन कर आधुनिक तथा प्रामाणिक (Certified) गोदाम की सुविधा क्षेत्रवार कृषि जीन्स तथा फल इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा।
37. मृदा–स्वास्थ्य (Soil Health) जांच, बीज परीक्षण तथा कृषिIEC (प्रचार–प्रसार) हेतु अभियान चलाया जाएगा जिससे किसानों को समय रहते कृषि संबंधी आवश्यक जानकारी

समय पर मिल सकेगी।

38. Tribal Sub-Plan (अनुसूचित जनजाति आयोजना क्षेत्र) के लधु तथा सीमांत काश्तकारों के कृषि–ऋण (Agricultural Loan) को नीतिगत निर्णय के तहत माफ किया जाएगा तथा ऐसी नीति को चरणबद्ध रूप से प्रदेश के अन्य चिन्हित काश्तकारों के वर्गों के लिए भी लागू किया जाएगा।

39. बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु प्रयास किएजाएंगे (Reclaiming Waste Lands)

40. जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ड्रिप–सिंचाई (Drip Irrigation), स्प्रिंकलर सिंचाई (Sprinkler Irrigation) के लिए तथा मानक एवं कम Horse-powerके पंप हेतु रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने हेतु नीति बनाई जाएगी। इस नीति के तहत सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

41. "Indian Institute of Spice Research (IISR) / Indian Council of Agricultural Research (ICAR) तथा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के बीच परस्पर समन्वय से राजस्थान में भी Spice Research Instituteअथवा Indian Institute of Spice Research की इकाई की स्थापना का पूरा प्रयास किया जाएगा।

42. रोजड़ा तथा अन्य जंगली जानवरों से फसल को होने वाली क्षति से संबंधित काश्तकारों को राहत प्रदान की जाएगी।

43. कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कृषि क्षेत्र लाभ का ही नहीं अपितु सम्मानजनक पेशा भी होगा।

44. पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कृषि विषयक शिक्षा भी प्रदान किये जाने की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाएगी।

45. कर्ज वसूली से किसान भूमिहीन न हो, इस हेतु रक्षणात्मक प्रावधान किए जाऐंगे।

46. जैविक उत्पाद के विक्रय हेतु शासन स्तर पर प्रचार–प्रसार के साथ ही मंडी क्षेत्र में अलग से क्षेत्र आरक्षित कर समुचित व्यवस्था की जाएगी।

2. गौवंश संवर्धन एवं संरक्षण

1. गौ संवर्धन के लिए पृथक से गौ–पालन मंत्रालय की स्थापना की जाएगी।
2. पंचगव्य शोध, गौ–संवर्धन, गौ–संरक्षण, गौ–पालन एवं गौ–आधारित चिकित्सा, खेती आदि विषयों पर गौ–केन्द्रित व्यवस्थाओं के शोध एवं क्रियान्वयन हेतु गौ–विज्ञान/ कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
3. देशी गौवंश के संरक्षण, संवर्द्धन, नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु तथा विदेशी नस्ल को हतोत्साहित करने हेतु नीति निर्धारित की जाएगी।
4. देश गौवंश एवं नर गौ वंश के पोषण एवं पालन हेतु वर्षा से उत्पन्न चारे के 3 माह को छोड़कर 9 माह का सरकार अनुदान प्रदान करेगी। इस हेतु प्रतिवर्ष 350 करोडरुपये का बजट प्रावधान किया जाएगा।
5. गौ–तस्करी के कानून की समीक्षा की जाएगी तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु कठोर प्रावधान किए जाएंगे। गौ–तस्करी में लिप्त वाहनों, वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के प्रावधानों की तरह कठोर कानूनी प्रावधान किया जाएगा।
6. गौशाला के कार्य तथा गौचर भूमि का सीमांकन, भूमि का समतलीकरण, गौशाला की चारदिवारी व अन्य निर्माण कार्य तथा घास उगाना, वृक्षारोपण इत्यादि कार्यों को यथासंभव 'नरेगा' कार्यों में शामिल किया जाएगा अथवा आवश्यकतानुसार इन्हें नरेगा अधिनियम में शामिल कराने हेतु पूरा प्रयास किया जाएगा।
7. इसी प्रकार से 'नरेगा' अधिनियम में गौशालाओं के गौ–पालकों को नरेगा मजदूर के अनुरूप मजदूरी दिये जाने हेतु नरेगा अधिनियम में आवश्यक प्रावधान किए जाने हेतु भारत सरकार से निरन्तर प्रयास किया जाएगा।
8. गौ–आधारित कृषि एवं पंचगव्य उत्पादों को समर्थन मूल्य पर क्रय करने तथा अनुदानित दर पर विपणन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु नीति निर्धारित की जाएगी।
9. गौवंश को राज्य धरोहर घोषित किया जाएगा।
10. गौपालकों की सहकारी समितियां बनाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
11. सम्भाग स्तर की 1–1 गौशाला की गौ–अभ्यारण्य के रूप में स्थापना की जाएगी, जिसमें अपंग/निराश्रित व गौ–तस्करों से मुक्त करवाये गये गौवंश की संस्थागत स्तर पर रख–रखाव की व्यवस्था की जाएगी।
12. गौवंश निकासी के स्थानों को चिन्हित कर गौरक्षा पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी।
13. नव सृजित गौसेवा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
14. गौवंश को बीमारियों से मुक्त कराने के लिए चल –चिकित्सा इकाईयां गठित की जाएंगी तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी।
15. राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत गठित डेयरी द्वारा खरीदे जाने वाले गाय के दूध पर 6 रुपये प्रति फैट की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा।
16. ऊंट तथा मोर को राज्य धरोहर घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार Great Indian Bustard एवं Siberian crane को भी राज्य धरोहर घोषित करने के लिए नीति निर्धारित की जाएगी।
17. भेड़, ऊंट व गौ पालको की सहकारी समितियां बनवायी जाएगी।

3 पशुपालन एवं डेयरी विकास

1. नरेगा अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की अधिसूची में पशुपालन तथा इससे जुड़ी गतिविधियों को शामिल करने के लिए नरेगा अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने भारत सरकार से निरन्तर प्रयास किया जाएगा।
2. पूरे प्रदेश में गौचर भूमि के संरक्षण, सीमांकन तथा यथासंभव इनके संरक्षण व वैज्ञानिक प्रबन्धन (Scientific Management) हेतु समयबद्ध कार्य योजना अनुसार कार्य किया जाएगा। गौचर भूमि में चारा उत्पादन, वृक्षारोपण एवं पशु चराने हेतु विकसित करने के कार्य को सतत् चलाने के लिए स्थाई तंत्र विकसित किया जाएगा। राज्य में गौचर विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।
3. मंदिर माफी की भूमियों का विधिक्–प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित प्रबन्धन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि इसका संचालन व्यवस्थित ढ़ंग से हो सके।
4. बैल चालित कृषि, जैविक खाद एवं जैविक कीट नियंत्रकों को बढ़ावा देने हेतु किसानों को प्रोत्साहन एवं अनुदान, प्रदान किया जाएगा।
5. प्रदेश के प्रत्येक जिले में चारा बैंक की स्थापना की जाएगी।
6. पशुपालकों को कृषि ऋण की दर पर पशुपालन हेतु आसान शर्तों पर अनुदान उपलब्ध करवाना व पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया जाएगा।
7. पशु चिकित्सा हेतु मोबाईल युनिट्स का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
8. कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा बारानी खेती से अधिक आय प्राप्त करने की तकनीक की व्यापक जानकारी ग्रामीणों को प्रदान करवायी जाएगी।
9. चारा संग्रहण व भण्डारण पर काश्तकारों को सस्ती दरों में ऋण उपलब्ध कराने की नीति घोषित की जाएगी।
10. भेड़ पालकों व पशुपालकों को अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा।
11. भेड़ पालकों व भेड़ों का बीमा प्रीमियम का आधा शुल्क लेकर किया जाएगा।
12. भेड़–बकरी, ऊंट को ''**राज्य आपदा प्रबंध योजना**'' में शामिल किया जाएगा।
13. पर्यावरण संरक्षण हेतु खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया जाएगा।
14. प्राथमिक दुग्ध समितियों के माध्यम से दुधारू पशुओं की खरीद हेतु पशुपालकों को 1 लाख रु. का ब्याज मुक्त ऋण तथा डेयरी प्लांटों हेतु मशीनरी खरीद पर टैक्स में छूट दी जाएगी। इस संबंध में पशुपालन एवं डेयरी विकास नीति तैयार की जाएगी, जिससे रोजगार के साथ आर्थिक सशक्तिकरण भी हो
15. राज्य में पशुधन, कृषि व जनजीवन के लिए हानिकारक ज्यूरिफ्लोरा (किकर) की प्रजातियों को प्रोत्साहित करने वाले कांग्रेस सरकार द्वारा पारित कानून की वैज्ञानिक समीक्षा कर समाधान निकाला जाएगा।
16. प्रदेश में पशु स्वास्थ्य शिविर चरणबद्ध रूप से आयोजित कर न केवल पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा बल्कि पशु स्वास्थ्य कार्ड की बनाए जाएंगे।
17. प्रत्येक दो वर्ष में ग्लोबल एग्रीटेक मेला आयोजित किया जाएगा।
18. पशु बीमा का विस्तार किया जाएगा।

19. राज्य में दूध भंडारण एवं परिवहन व्यवस्था को सुदृढ व लाभकारी बनाने के लिए चिलिंग प्लान्ट्स की क्षमता को दुगुना कर उनका विकास और विस्तार किया जाएगा।
20. गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।
21. पशुधन की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु 109 चलित उपचार सेवा वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

4 युवा, रोजगारएवं खेलकूद

1. वर्तमान टेट की परीक्षा की समीक्षा कर इसकी बाधाओं को दूर किया जाएगा।
2. राज्य में अधीनस्थ सेवा बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया त्वरित गति एवं पारदर्शी ढंग से निष्पादित हो सके।
3. पूर्व भाजपा सरकार में प्रारंभ की गई अक्षत योजना के माध्यम से प्रत्येक स्नातक/स्नातकोत्तर/डिग्रीधारी युवाओं को कम से कम एक हजार/पांच सौ रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
4. किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु जाने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
5. कम्प्यूटर शिक्षा हेतु सभी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पृथक से कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
6. कौशल वृद्धि(Skill Development) कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को स्वयं के रोजगार हेतु सक्षम बनाया जाएगा। युवाओं को उद्योगों की स्थापना के लिए रियायती दरों पर ऋण तथा भूमि उपलब्ध करवाने हेतु नीति बनाई जाएगी।
7. उच्च/तकनीकि शिक्षा के लिए युवाओं को बिना ब्याज के शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी।
8. कक्षा–10 से स्नातक तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग से अध्ययन की व्यवस्था की जाएगी।
9. युवाओं को सरकारी/गैरसरकारी सेवाओं के लिए समुचित रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वर्ष में दो बार रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा।
10. सभी सरकारी व गैर सरकारी महाविद्यालयों में युवाओं को रोजगार जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एक केंद्र की स्थापना की जाएगी।
11. युवाओं को सेना व अर्द्ध सेना मे उच्च पदों पर भर्ती हेतु आकर्षण विकसित करने के लिए सरकार की ओर से सेना के साथ मिलकर चूरू में अकादमी स्थापित की जाएगी।
12. राज्य के प्रत्येक युवा खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लिया हो और पदक जीत कर राज्य का मान बढ़ाया हो उसे राज्य की सरकारी सेवा में नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।
13. खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं मे सक्षम बनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे।
14. प्रदेश के खिलाड़ी का अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभागी के रूप मे चयन होने पर खिलाडी की यात्रा का खर्चा, राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की व्यवस्था की जाएगी।
15. ग्रामीण खिलाड़ियों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित करने की योजना बनाई जाएगी ।
16. सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
17. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मॉडल स्कूल की तर्ज पर स्पोर्टस स्कूल खोले जाएंगे।
18. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर (सरकारी) के खेल प्रमाण पत्रों के बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे।
19. सभी विद्यालयों में अलग से खेल सामग्री का बजट रखा जाएगा।

20. राजस्थान में ग्रामीण/शहरी खेल मैदानों की स्थिति में सुधार किया जाएगा।
21. खेल जगत में **''क्रीड़ा शाला संगम योजना''** लागू की जाएगी।
22. ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन हेतु जिला एवं राज्य स्तर के खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को आर्थिक पैकेज दिया जाएगा।
23. अंतर्राष्ट्रीय खिलाडियों एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा निःशुल्क दी जाएगी।
24. अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मासिक पेंशन भत्ते का प्रावधान किया जाऐगा।
25. महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि एक लाख रू. की जाएगी।
26. खिलाड़ियों का यातायात और भोजन भत्ता महंगाई के अनुसार बढाया जाऐगा।
27. प्रमुख खेलों के राष्ट्रीय आयोजन पर पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
28. उच्च प्राथमिक स्तर पर तृतीय श्रेणी, माध्यमिक स्तर पर द्वितीय श्रेणी और उ.मा.स्तर पर प्रथम श्रेणी के योग एवं शारीरिक शिक्षक लगाये जाएंगें।
29. प्रत्येक पंचायत समिति में 2 करोड रू. तक की लागत के स्टेडियम बनाये जाएंगे।
30. राज्य की नई खेल नीति बनाई जाएगी।
31. राज्य में जिला स्तर की खेलूकूद प्रतियोगिताओं के लिए राज्य सरकार आवश्यकतानुसार पर्याप्त बजट उपलब्ध कराएगी।
32. आगामी 5 वर्षो में गरीबों के लिए सामजिक सुरक्षा और आमजन के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना हमारी प्रमुख प्राथमिकता है।
33. आगामी 5 वर्षो में हम 15 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे।
34. खेल स्कूल और ग्रीन स्कूल जैसे नए तरह के स्कूल, विशेष तरह के अधिक विश्वविद्यालय और ग्लोबल संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
35. प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे मरूस्थलीय खेल, जल क्रीडा, पर्वतारोहण और साहसिक खेल और तीरंदाजी।
36. युवाओं के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए एक **नई युवा नीति** बनाई जाएगी। इसमें खेल–कूद, रोजगार और रोजगार क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
37. कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। यह अगले 10 वर्षों में 2.5 करोड कुशल श्रमिक तैयार करने के लिए एक खाका और पाठ्यक्रम तैयार करेगा ताकि उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा किया जा सके।
38. शिक्षा में जनभागीदारिता को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
39. श्रम एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत रोजगार विभाग को पृथक से गठित करते हुए उसका नामकरण '' आजीविका सृजन, परामर्श तथा नियोजन'' किया जाएगा। यह विभाग ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत आने वाले 'राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्, श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अंतर्गत् आने वाले राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अलावा उद्योग विभाग, युवा एवं खेल विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा इसी प्रकार अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर आजिविका के नए अवसर तथा उससे संबंधित योग्यता/पाठ्यक्रम इत्यादि के संबंध में न केवल जानकारी प्रदान करेगा बल्कि सकारात्मक रूप से रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कारगर कदम भी उठाए जाएंगे।

40. पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष कक्षा 10 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तथा राज्य स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृति के साथ–साथ निःशुल्क कोचिंग, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे राज्य स्तरीय खेल प्रतिभाओं को प्राथमिकता पर सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का नाम **मुख्यमंत्री राजस्थान खेल प्रतिभा खोज योजना रखा**जाएगा।
41. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र (Tribal Sub-Plan Area) में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान तीरंदाजी अकादमी तथा राजस्थान हॉकी अकादमी को राज्य सरकार द्वारा पच्चीस–पच्चीस करोडरूपये के एकमुश्त अनुदान के अलावा वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि इन अकादमियों का संचालन सुचारू रूप से संभव हो सके।
42. राज्य में खेलकूद को बढावा देने के उद्देश्य से वार्षिक खेलकूद–कैलेन्डर तैयार किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत अन्तर–विद्यालय, अंतर–महाविद्यालय, अंतर–विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं के अलावा आर्मी तथा पुलिस के मध्य खेल प्रतियोगिता, पुलिस तथा राजस्व एवं अन्य विभागों की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
43. प्रदेश में रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पाठ्क्रम जैसे M.Sc in Hospitality Administration, Post Graduate Diploma in Accomodation, Operation and Management, Post Graduate Diploma in Dietetics and Hospital Food Service, Craftsmanship Course in Food Production, Diploma in Housekeeping इत्यादि को राजस्थान में भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा अथवा इनसे संबंधित शाखाओं को राजस्थान में खुलवाने का प्रयास किया जाएगा।
44. स्वरोजगारियों के चिन्हित श्रेणी जैसे कुम्हार,बुनकर, प्लम्बर, इत्यादि की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी। जिससे कौशल–प्रशिक्षण के पश्चात् इनके द्वारा आजीविका अर्जित की जा सके।
45. पंजीकृत बेरोजगार नवयुवकों को व्यवसाय हेतु 5 लाख रूपये तक की ऋण राशि (3 प्रतिशत ब्याज दर पर) दिया जाएगा।
46. प्रदेश के प्रमुख शहरों में युवाओं एवं युवतियों के लिए ICT सुविधायुक्त यूथ हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा।
47. युवा कौशल उन्नयन योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया जाएगा।
48. 65 साल से अधिक उम्र के हो चुके विशिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना आरंभ की जाएगी।
49. **एम्प्लायमेंट मार्केटिंग इन्फोर्मेशन प्रोग्राम।**

5.महिला एवं बाल विकास

1. महिलाओं के साथ उत्पीड़न एवं दुष्कर्म के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी।
2. महिला–पुरूष अनुपात के असंतुलन को रोकने के लिए कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम हेतु कारगार योजना बनाई जाएगी।
3. राज्य की प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की व्यवस्था की जाएगी।
4. महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए डेयरी/पशुपालन उद्योग, खाद्य सामग्री निर्माण, हस्तशिल्प, कुटीर एवं घरेलू उद्योग आदि के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाए जाने की योजना बनाई जाएगी।
5. राज्य के प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की व्यवस्था की जाएगी।
6. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सभी वर्गों की छात्राओं के लिए मुख्य मंत्री कन्या छात्रावास की स्थापना की जाएगी।
7. प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
8. विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण के अनुसार भर्ती की जाएगी तथा इन्हीं वर्गों के अनुकम्पा नियुक्तियों के प्रकरणों का छः माह में निस्तारण किया जाएगा।
9. महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
10. महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए पिछली भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई भामाशाह योजना प्रारम्भ करके 50 लाख महिलाओं का बैंक खाता खोला जाएगा।
11. माँ और बच्चे की देखभाल के लिए विभिन्न स्तर पर पहल की जायेगी, जिनमें कुपोषण से निपटने के लिए **मिशन बलम सुखम,** नवजात शिशु और माँ को सुरक्षित ले जाने के लिए सुविधायुक्त वैन, नंद घर (आधुनिक आंगनवाड़ियां), माता यशोदा पुरस्कार शामिल है।
12. बालिका के जन्म के प्रति परिवारों में सकारात्मक रवैये को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति बनाई जाएगी।
13. Gender Budgeting के साथ–साथ विभागवार महिलाओं के संबंध में दी जाने वाली छूट (जैसा पूर्व में भाजपा सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में दिया था) अथवा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने जैसे ठोस कदम उठाए जाएंगे।
14. आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, आँगनबाड़ी सहायिका, आशा–सहयोगिनी के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए न केवल उनको दिये जाने वाले मानदेय को बेहतर किया जाएगा बल्कि उन्हें एकमुश्त वार्षिक भत्ता भी दिया जाएगा।
15. भाजपा की सरकार ने पिछली बार विधवाओं को शिक्षिका का रोजगार उपलब्ध कराया था। इस श्रेणी में अनाथ बालिकाओं को भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
16. महिलाओं के कौशल विकास एवं शौर्य विकास के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जाएगी।

17. असहाय बालिकाओं तथा महिलाओं की तात्कालिक आर्थिक सहायता हेतु एक **विशेष कोष** का गठन किया जाएगा जो ऐसी महिलाओं को अधिकतम तीन वर्षो के लिए निर्धारित नीति के अनुसार आर्थिक मदद प्रदान कर सके।
18. **महिला एवं बाल विकास नीति** का निर्धारण किया जाएगा।
19. महिलाओं की सुरक्षा हेतु एवं उनपर बढ़ते हुए दुराचार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाये जाएंगे।
20. महिलाओं से दुराचार से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँगे जैसे अतिरिक्त फास्ट ट्रेक कोर्ट, विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति इत्यादि।
21. विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए शौचालय और क्रेच की उचित व्यवस्था की जाएगी। अखिल भारतीय सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप राज्य महिला कर्मचारियों को भी बच्चों की देख–रेख के लिए अधिकतम दो वर्षो का अवकाश देय होगा।
22. भाजपा की सरकार ने पूर्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए थे, जिसके तहत महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत दस्तावेंजो पर छूट दी गई थी। अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा बी.पी.एल. महिलाओं के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों के लिए यह दर सामान्य दर का आधा रखा जाएगा।
23. **मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना** प्रारम्भ की जाएगी।
24. शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को उद्योग/व्यापार हेतु रियायती दर पर ऋण दिया जाएगा।
25. महिलाओं के लिए **महिला समृद्धि बाजार** की स्थापना की जाएगी।
26. सभी जिलों में सर्व सुविधायुक्त पोस्ट हायर सैकंडरी कन्या छात्रावास की स्थापना की जाऐगी।
27. दहेज प्रतिरोध सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा।

6 पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास

1. ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन किए जाने हेतु आयोग बनाया जाएगा। वर्तमान में गठित किए गए तथा भविष्य में गठित किए जाने वाले तहसील तथा पंचायत समिति तथा पुलिस उप अधीक्षक के क्षेत्र की सीमाओं को एक समान किया जाएगा तथा थानाधिकारी के कार्य–क्षेत्र की सीमा को भी तहसील/पंचायत समिति की सीमा के समकक्ष रखा जाएगा। इसी प्रकार से संभागीय आयुक्त तथा पुलिस महानिरीक्षक के कार्य–क्षेत्र को भी समकक्ष रखा जाएगा।
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई एवं रोशनी हेतु आवश्यक कर्मचारी एवं सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी।
3. नऐ जिले, उपखंड, तहसील व पंचायत समिति हेतु आयोग का गठन किया जाएगा।
4. राज्य में बी.पी.एल. परिवारों के चयन हेतु एक प्रभावी स्थाई तंत्र विकसित किया जाएगा।
5. ग्राम पंचायतों में पुराने घरों को स्टेट ग्रांट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आवासीय पट्टे प्रदान करवाए जाएंगे।
6. राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु राजस्व विभाग/राजस्व मंडल के अधीनस्थ Fast Track Courtका गठन कर विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को तदर्थ पदोन्नति देकर पदस्थापित किया जाएगा तथा Incentive भी प्रदान किया जाएगा।
7. राज्य में ए.पी.एल परिवारों को पूर्ववत सस्ता आटा देने की योजना पुनः चलाई जाऐगी।
8. प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्रामों मे सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए भूमि आरक्षित रखने हेतु अभियान चलाया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायत/ग्रामों का सुनियोजित विकास संभव हो सके।
9. प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति स्तर पर निर्मित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों को Internet की सुविधा से जोड़ते हुए इन्हें और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा तथा इसे एक पंचायत स्तरीय ज्ञान केंद्र (Village Knowledge Centre)के रूप में विकसित किया जाएगा।
10. ग्रामीण ए.टी.एम. (Rural A.T.M.) लगाए जाने हेतु बैंक से परामर्श कर प्रभावी कार्य योजना बनाई जाएगी।
11. बी.पी.एल परिवारों के साथ अन्य चिन्हित वर्ग को भी आवासीय सुविधाएं योजनाबद्ध रूप से प्रदान की जाएगी।
12. पंचायत राज के निर्वाचित सदस्यों का मानदेय बढ़ाया जाएगा।

7 ऊर्जा

1. घरेलू बिजली की 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
2. सिंचाई के लिए 08 घंटे थ्री फेज बिजली दी जाएगी।
3. कृषि विद्युत कनेक्शनों की नीति निर्धारित की जाएगी, जिससे कि काश्तकारों को असुविधा न हो, तथा सुचारू रूप से बिजली मिल सके।
4. इस वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने बूंद–बूंद सिंचाई योजना के लिए प्रार्थना पत्र यह कहकर आमंत्रित किए कि तीन माह में विद्युत कनेक्शन रिलीज कर दिया जाएगा। इन कनेक्शनों को प्रदान करने के लिए ढ़ाई से तीन लाख रूपये जमा कराऐ गए हैं और कनेक्शन लिए जाने के बाद उन्हें दो माह में 24 हजार रूपये के बिल का चुकारा करना पड़ता जो साधारण कनेक्शन की रेट से तीन गुणा से भी अधिक है। भाजपा घोषणा करती है कि बूंद बूंद सिंचाई योजना में इस वर्ष रिलीज किए गए सभी कनेक्शनों को साधारण कनेक्शन ही माना जाएगा।
5. कंपनी द्वारा खराब मीटर लगाए जाने पर मीटर निःशुल्क बदला जाऐगा।
6. राज्य सरकार उर्जा के क्षेत्र में ढ़ांचागत आमूलचूल परिवर्तन करेगी। विद्युत कंपनियों के प्रशासनिक, आर्थिक एवं ढ़ांचे की पुनः समीक्षा कर संरचना की जाएगी।
7. खेतों में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले किसानों को ''रियायती दरों पर ऋण'' दिया जाएगा।
8. प्रदेश में गैर–परम्परागत ऊर्जा के उत्पादन तथा सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढावा देने के लिए वर्तमान नीतियों में आवश्यक परिवर्तन कर नई नीति लाई जाएगी।
9. पूर्व में क्रियान्वित की गई Feeder Renovation Programme (FRP)की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी।
10. प्रदेश में ताप, पवन, अणु, सौर, जल–विद्युत की उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि की जाएगी, जिससे प्रदेश न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भर बने बल्कि इससे आय भी अर्जित कर सकें।
11. प्रदेश के ग्रामों के अलावा कम आबादी वालीढाणियों को त्वरित गति से विद्युतिकृत किया जाएगा।
12. शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी Roof Top सौर ऊर्जा उत्पादन एवं आपूर्ति की योजना क्रियान्वित की जाएगी। सौर ऊर्जा आधारित Water heater, Street light, Pumpको प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के कम आबादी वाले क्षेत्र तथा सुदूर क्षेत्रों मे सौर ऊर्जा आधारित विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी ।
13. बिजली समस्याओं के निराकरण के लिए बिजली पंचायतों का प्रावधान किया जाएगा।
14. राजस्थान को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायोमॉस में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा।

8 पेयजल एवं सिंचाई

1. चंबल योजना को बीसलपुर योजना से समयबद्ध योजना बनाकर जोड़ा जाएगा।
2. प्रत्येक गांव को उसकी आबादी व पशुधन की गणना को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
3. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत चूरू जिले में बरसों से अधूरे पड़े कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल सहित सभी नहरों के पुनः निर्माण तथा कमाण्ड एरिया में चकबंदी, खालों का निर्माण, मोगों का पुनः निर्धारण व बूंद–बूंद खेती को प्रोत्साहित कर सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा।
4. मिनी और माईक्रो सिंचाई प्रणाली विकसित की जाएगी।
5. राज्य का बरसाती पानी जो बह कर समुन्द्र में चला जाता है, उसे रोकने एवं सिंचाई व पेयजल उपयोग हेतु योजना बनाई जाएगी। इसमें मुख्य रूप से देवास योजना तृतीय व चतुर्थ, वाकल योजना, माही, जाखम व जयसमंद एवं सिरोही व जालौर में बहने वाले पानी से विस्तृत सिंचाई योजना बनाई जाएगी।
6. यमुना व इंदिरा गांधी नहर परियोजना में राज्य के हिस्से का पानी प्राप्त करेंगे।
7. भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्थान के हिस्से का पानी प्राप्त किया जाएगा।
8. पार्वती कालीसिंध के सरप्लस पानी का उपयोग कर आवश्यक सिंचाई क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
9. राज्य में बहने वाली नदियों को आपस में जोड़कर पानी के पूर्ण उपयोग हेतु कार्य योजना तैयार की जाऐगी।
10. डार्क जोन क्षेत्र का पुनः वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा।
11. बीकानेर जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में क्रमशः कोलायत लिफ्ट गजनेर लिफ्ट व बांगड़सर लिफ्ट योजना को एक लाख हेक्टेयर, इकहत्तर हजार हेक्टेयर व दस हजार हेक्टेयरभूमि में केन्द्रीय जल आयोग व योजना आयोग से मंजूरशुदा क्षेत्रों में खालों का निर्माण व फव्वारा पद्धति से कृषि के विकास का आधारभूत ढ़ांचे का निर्माण किया जाएगा।
12. जयपुर महानगर में डार्क जोन में बसी हुई आवासीय बस्तियों में सरकारी स्तर पर प्राथमिकता से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
13. जयपुर में पेयजल व गैर पेयजल उपयोग हेतु पृथक्–पृथक् पाईप लाईन डालने के कार्य को प्रारम्भ किया जाएगा।
14. जालौर व बाड़मेर सहित पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में नर्मदा परियोजना गुजरात का पानी निर्धारित मात्रा से कम उपलब्ध हो रहा है, जो शेष अपूर्ण नहरों के कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाकर सभी जगह सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाएगा।
15. अन्तर्राज्यीय जल विवादों के कारण राज्य के हिस्से के पानी को प्राप्त कर किसानों तक पहुंचाया जाएगा।
16. पुरातन पारम्परिक जलस्त्रोंतो को जन सहयोग एवं स्थानीय प्रवासी दानदाता के सहयोग से पुनर्जीवित किया जाएगा।
17. किसानों के खेतों में वर्षा के जल के संग्रहण व पुनर्भरण हेतु भूमि के अनुपात में आर्थिक सहायता दी जाएगी।
18. प्रति बूंद अधिक फसल को और आगे बढ़ाएंगे।

19. नदियों के पानी को जोड़कर जयपुर राजधानी तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाकर क्रियान्वित की जाएगी।
20. प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल, माही, कालीसिंध तथा पार्वती नदियों एवं नर्मदा नहर पर योजना को आपस में जोडते हुए पेजयल हेतु Grid की स्थापना की कार्ययोजना तैयार की जाएगी जिससे पूरे प्रदेश में पेयजल की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
21. प्रदेश में अतिवृष्टि/बाढ़ के जल–संरक्षण एवं संग्रह हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाई जाएगी।
22. पंजाब के क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्षतिग्रस्त नहर की लाईनिंग की मरम्मत करवाना तथा नहर की सफाई करवाकर टेल तक सिंचाई का पानी योजनाबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
23. बीकानेर संभाग के क्षेत्र की सेम की समस्या के समाधान हेतु सार्थक प्रयास किया जाएगा।
24. 6ए के प्रकरणों से संबंधित कांगड़ा बांध विस्थापितों को अन्यत्र उपयुक्त भूमि आंवटित कर समस्या का समाधान कराने हेतु सार्थक प्रयास किए जाएंगे।
25. भाखड़ा सिस्टम की शेष रही नहरों एवं खालों की लाईनिंग/पक्का करने का कार्य किया जाएगा साथ ही जवाई बांध तथा अन्य प्रमुख बांधो के पुनर्रूद्धार एवं संरक्षण का कार्य योजनाबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।
26. पी.एच.ई.डी. विभाग का नामकरण जल स्त्रोत संरक्षण, पुनर्भरण तथा पेयजल आपूर्ति (Water Resoruces Conservation, Recharge & Water Supply Department)विभाग रखा जाना उचित होगा जिससे जल संरक्षण पर विभाग का पर्याप्त ध्यान रहे।
27. पेयजल स्त्रोतों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कानून बनाया जाएगा जिससे पेयजल के अपव्यय के प्रकरणों में जुर्माना लगाया जा सके एवं पेयजल के दुरूपयोग को रोका जा सके।
28. पेजयल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय निकाय/गैर सरकारी संस्थाओं/दान दाताओं तथा राज्य–सरकार के मध्य 75:25 की भागीदारी से **मुख्यमंत्री राजस्थान जल संरक्षण सहभागिता विकास योजना** लागू की जाएगी।
29. Desalination Plantअथवा Mini R-O Plant को चिन्हित क्षेत्र में स्थापित करने हेतु विशेष नीति बनाई जाएगी जिसके तहत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
30. प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को सरकार प्रतिबद्धता के साथ लागू करेगी। इस अवधारणा को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के समक्ष रखते हुए सरकार इसको चरणबद्ध तरीके से दृढ़ता से लागू करेगी।
31. कृषि सिंचाई को बढ़ाने के लिए अधिकतम अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाएगा साथ ही किसानों को पानी का वैज्ञानिक विधि से प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
32. फिल्टर युक्त पेयजल संरचना का निर्माण किया जाएगा।

9 सड़क व परिवहन

1. प्रदेश में सडक सुरक्षा को अधिक मजबूत करने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। जिससे राज्य में यातायात नियंत्रित एवं सुरक्षित होगा।
2. सभी **चिन्हित** सड़कों, जंक्शनों एवं फ्लाई ओवर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रोड सेफ्टी ऑडीटर से रोड सेफ्टी ऑडिट कर सड़कों के दोष को दूर किया जाएगा तथा सभी सड़कों पर रोड सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य की जाएगी।
3. परिवहन कार्यालयों सहित सम्पूर्ण परिवहन प्रणाली में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लागू कर इसे पारदर्शी व जवाबदेह बनाया जाएगा।
4. प्रशासनिक सुधार समिति की रिपोर्ट 2012 के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लागू किया जाएगा।
5. राजस्थान रोडवेज कर्मचारी द्वारा 35 से 40 वर्ष की निगम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पश्चात आधे किराये के स्थान पर सेवानिवृत्ति के 15 साल पश्चात् आजीवन निःशुल्क यात्रा पासजारी किया जाएगा।
6. चिन्हित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाऐगा।
7. सुरक्षित यातायात के लिए राजस्थान रोड सेफ्टी अथोरिटी एक्ट बिल लाया जाएगा एवं सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी।
8. सड़क दुर्घटनाओं के अध्ययन एवं इनसे बचाव हेतु जिला स्तर पर एक समूह का गठन किया जाऐगा।
9. परिवहन कार्यालयों सहित सम्पूर्ण परिवहन प्रणाली में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लागू कर इसे पारदर्शी एवं जवावदेही बनाया जाएगा।
10. आम सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात के प्रति जागृत एवं शिक्षित करने के लिए संभाग मुख्यालयों पर रोड सेफ्टी मोबाईल वैन उपलब्ध कराई जाएगी।
11. राजस्थान ग्रामीण बस सेवा के सफल क्रियान्वयन के लिए **चिन्हित** श्रेणी के यात्रियों के लिए अनुदानदेकर छूट दी जाएगी।
12. राजस्थान में बस अड्डा प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
13. जनहित में एक लाख से अधिक वाहन संख्या वाले उपखंड मुख्यालयों पर नवीन जिला परिवहन कार्यालय खोले जाएंगे।
14. सड़क सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन विभाग को अभियांत्रिकी विभाग का दर्जा दिया जाएगा तथा नवीन भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाएगा।
15. परिवहन विभाग के मोटर वाहन निरीक्षक के पदों के दर्जे पर समुचित निर्णय लिया जाएगा।
16. वाहनों के नियमित परिक्षण सुनिश्चित करने हेतु तथा पुरानें प्रदूषण करने वाले वाहनों में कमी लाने के उद्देश्य से नीति/कार्य योजना बनाई जाएगी, जिससे प्रदूषण रहित वाहन का उपयोग बढ़े।

17. 250 से अधिक तथा 100 से 250 की आबादी वाले गाँवों को चरणबद्ध रूप से पक्की सड़को से जोड़ा जाएगा।
18. Major District Road की समीक्षा कर उन्हें State Highway की श्रेणी में Upgrade किया जाएगा।
19. भाजपा की सरकार ने रिडकोर (RIDCOR)के माध्यम से उत्कृष्ट श्रेणी के State Mega Highways का निर्माण किया था। इसी क्रम में अन्य क्षेत्रों में भी State Mega Highways का निर्माण किया जायेगा जिससे राज्य के औद्योगिक केन्द्र, विपणन केन्द्र, पर्यटक स्थल, मिल्क रूट, आपस में जुड़ सके एवं प्रदेश का त्वरित औद्योगिक एवं आर्थिक विकास संभव हो सके।
20. विभिन्न ग्रामों को पंचायत मुख्यालयों से जोड़ने, ग्राम के अंदर की सड़कों, पंचायत मुख्यालयों से पंचायत समिति को जोड़ने वाली सड़को तथा पंचायत समिति से जिला परिषद मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़को का सुदृढ़ीकरण चरणबद्ध रूप से किया जाएगा।
21. जिला मुख्यालय को जयपुर से जोड़ने वाली सड़कों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण करते हुए इन्हें State Mega Highway के स्तर पर लाया जाएगा। सड़कों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
22. प्रदेश में निर्माणाधीन NHAIअथवा State Highwayके कार्यो को त्वरित गति से निष्पादित किया जाएगा तथा PMGSY के कार्य को गति प्रदान की जाएगी।
23. प्रदेश में Air Taxi Service लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएंगे।
24. टैक्सी परमिट प्रणाली और सरल और सुविधाजनक बनाई जाएगी।

10 शिक्षा

1. राज्य में प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में समय–समय पर परिवर्तन किया जाएगा।
2. राज्य में स्थित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी को **चरणबद्ध रूप से** पूरा किया जोयगा।
3. शिक्षकों के लिए पदोन्नति वर्ष के कलेण्डर में भी दिए जायेगें।
4. राज्य में महिला शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
5. राज्य की सांस्कृतिक, स्थापत्य एवं पारम्परिक धरोहरों के संरक्षण तथा पर्यटन के विकास और इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पृथक से पर्यटन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
6. राज्य में शिक्षक–प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
7. राज्य में सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के संचालन हेतु एक नियामक बोर्ड का गठन किया जाएगा।
8. राज्य में शिक्षा को भारतीय मूल्यों की प्रासंगिकता एवं नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाएगा।
9. राज्य में सरकारी सेवा में परिवीक्षाधीन नियुक्त कार्मिकों की अवधिएक वर्ष होगी।
10. राज्य में कार्यरत विद्यार्थी मित्र, शिक्षा कर्मी, शिक्षा मित्र, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, अंशकालीन शिक्षक, प्रबोधक इत्यादि प्रकार से कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
11. राज्य में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपने स्कूल जाने आने के लिए रोडवेज में रियायती दर पर यात्रा हेतु Trasport Voucher की सुविधा दी जाएगी।
12. राज्य में विद्यालयों की समय सारिणी में उचित परिवर्तन किया जाएगा।
13. राज्य में डॉ. अम्बेडकर संस्थान को फिर से कार्यशील किया जाएगा।
14. राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं व बारहवीं कक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
15. राज्य में शिक्षकों के रिक्त स्थानों का अगले वर्ष तक अनुमान लगाकर चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियमित भर्ती कर नियुक्तियां की जाएगी।
16. राज्य में चिन्हित ग्राम पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय विज्ञान विषय के साथ स्थापित किए जाएंगे।
17. प्रदेश में प्रत्येक उपखंड स्तर पर छात्र/छात्राओं के लिए जहां सरकारी महाविद्यालय नहीं हैं, वहां सरकारी कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
18. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के विकास को ध्यान में रखते हुए डूंगर महाविद्यालय बीकानेर व महारानी सुदर्शना महाविद्यालय, बीकानेर को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों का दर्जा प्रदान किया जाएगा।
19. राज्य के गौरवशाली इतिहास एवं समृद्ध ग्रामीण परम्पराओं के योगदान को संग्रहित, लेखन, संरक्षित एवं प्रकाशित कराने हेतु समयबद्ध कार्य किया जाएगा।
20. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पुस्तकालयाध्यक्षों के पद भरे जाएंगे।
21. पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाएगा।

22. हम सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु विशेष योजनाएं बनाएंगे और हिन्दी का विश्व स्तरीय शब्दकोष बनाने हेतु धन उपलब्ध कराएंगे इससे विधार्थियों को स्वयं की मातृभाषा में ज्ञान–सामग्री भी उपलब्ध हो सके।
23. प्राथमिक विद्यालयों में शत–प्रतिशत दाखिले का लक्ष्य हासिल करने और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने का अनुपात घटाया जाएगा। हम बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर को शून्य पर ले आएंगे और उसे गुणोत्सव जैसी पहल के जरिए उसी स्तर पर स्थिर कर देंगे, हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार करेंगे।
24. विदेशी भाषाएं जैसी चीनी, जापानी आदि पढ़ाने का महत्व दिया जाएगा।
25. दसवीं कक्षा के परिणाम के साथ जाति प्रमाणपत्र दिये जाएंगे ताकि माता–पिता और छात्रों को इसे लेने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े।
26. स्कूल–पूर्व शिक्षा (Pre-School Education)को अभियान के रूप में क्रियान्विति की जाएगी।
27. Block Resource Centre/ Cluster resource centre/district institute of education & training (DIET)का चरणबद्ध रूप से आधुनिकीकरण किया जाएगा।
28. शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से गुणात्मक शिक्षा नियामक आयोग/प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो अध्यापन की गुणवत्ता के साथ विधार्थियों कें शैक्षणिक स्तर की गुणवत्ता का परीक्षण करेगा। यह आयोग विद्यालयों की Ranking तथा उनके Accredition के दिशा में भी नीति निर्धारित करेगा।
29. बालक–बालिकाओं में अनुशासन तथा मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजकीय तथा निजी शिक्षण–संस्थाओं के कक्षा 9 से 11 तक के बालक बालिकाओं को एक बार निश्चित समय अवधि के लिए सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ अनिवार्य प्रशिक्षण व्यवस्था लागू करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा । इस योजना का नाम **''मुख्यमंत्री राजस्थान नव–निर्माण योजना''** रखा जाएगा।
30. राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 11 तक के बालक–बालिकाओं को देश में स्थित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शैक्षणिक/शोध संस्थाओं से आमुखीकरण हेतु एवं ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **'मुख्यमंत्री राजस्थान मेधावी छात्र योजना''** लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 11 तक के चयनित बालक–बालिकाओं को निश्चित समय–अवधि के लिए ख्याति प्राप्त संस्थाओं जैसे IIT/ IIM/ISRO/ BAARC/ TISS/NATIONAL SPORTS ACADEMY PATIALA/ NATIONAL DEFENCE ACADEMY/ NATIODAN INSTITUTE OS FOREIGN TRADE/ INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE संस्थाओ का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा जिससे प्रदेश की भावी पीढी के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हो सके।
31. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाए जाने के उद्देश्य से पंचायती राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर पंचायत स्तरीय स्थापना समिति का गठन किया जाएगा जिससे पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के प्रबोधन (Monitoring)पूर्ण अधिकार मिल सके।
32. आवश्यकता अनुसार प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन किया जाएगा।

33. प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध रूप सेSMART क्लास रूम की स्थापना की जाएगी जो पूर्ण रूप से कम्प्युटरीकृत होगा और शिक्षण कार्यों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

34. प्रदेश के माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से ''डिजिटल लाईब्रेरी'' की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान स्कूल डिजिटल लाइब्रेरी योजना कियान्वित की जाएगी।

35. प्रदेश के बालिका माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों से प्रारम्भ करते हुए चरणबद्ध रूप में समस्त विद्यालयों में हैन्डपम्प के साथ मोटर/सोलर पम्प लगाया जाएगा जिससे पेयजल तथा स्कूल में स्थित शौचालयों में जलापूर्ति संभव हो सके तथा शौचालयों की सफाई सुनिश्चित हो सके।

36. प्रदेश में चयनित स्थानों पर **''द्रोणाचार्य आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना''** की जाएगी जिसमें छात्र छात्राओं का दाखिला प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा तथा इनमें कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाओं को अतिरिक्त भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। ऐसे विद्यालयों के Governing Boardके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।

37. प्रदेश के विद्यालयों का NATIONAL ASSSESSMENT AND ACCREDITION COUNCIL (NAAC)से Accreditionप्राप्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित की जाएगी जिसके पश्चात **NAAC**से प्रमाणित महाविद्यालय ही प्रदेश में संचालित हो सकेंगे।

38. Mid-day Meal Programme को सुदृढ़ किया जाएगा तथा रसोई एवं भण्डार गृह का मानकीकरण भी किया जाएगा। केन्द्रीकृत रसोई को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्धारित की जाएगी।

39. प्रदेश के ITI/Polytechnic संस्थाओं में निजी भागीदारी को बढावा देने की नीति बनाई जाएगी। जिससे स्थानीय आवश्यकता अनुसार दक्ष (Skilled)मानव संसाधन उपलब्ध हो सके।

40. माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा को National Vocational Educational Qualifications Framework (NVEQF) से जोड़ते हुए Pilot योजना प्रारंभ की जाएगी जिसके आधार पर इसकी क्रियान्विति प्रदेश में की जा सकेगी।

41. प्रदेश के विश्वविद्यालय/तकनीकी विश्वविद्यालय/चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा विश्व के जाने–माने विश्वविद्यालयों से परस्पर शैक्षणिक आदान–प्रदान हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएंगे तथा विदेश में स्थित ऐसे विश्वविद्यालयों के स्थानीय कैंपस विकसित करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

42. छात्र–छात्राओं को बैंको से मिलने वाले शैक्षिक लोन को रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारित की जाएगी।

43. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को मिलने वाली शैक्षणिक सुविधाओं के तर्ज पर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र–छात्राओं के लिए भी नीति निर्धारित की जाएगी।

44. मेघावी छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत 1.25 लाख तक का नकद पुरस्कार देय होगा। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत Scooty, Cycle, Transport Voucher जैसी योजनाएँ शामिल की जाएगी।

45. छात्र–छात्राओं के लिए उनकी अभिरूचि अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में

आवश्यक उपयोगी जानकारी देने हेतु Counselling Centerस्थापित किए जाएँगे।

46. राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूचि में शामिल करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। राजस्थानी भाषा के उन्नयन एवं संवर्द्धन हेतु परिणाम जनक कदम उठाये जायेंगे।

47. राजस्थान को Knowledge Hubके रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किया जाएगा।

48. राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोजना क्षेत्र तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षक–शिक्षिकाओं की रिक्तियों को न केवल दूर करने का प्रयास किया जाएगा बल्कि क्षेत्र के विषम परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ठोस कदम उठाए जाएंगे।

49. चिन्हित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की CampusमेंWi-Fiकी सुविधा Pilot Projectके रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके आधार पर इसे अन्य Campusesमें भी क्रियान्वित किया जा सकेगा।

50. उच्च शिक्षा/विदेश में शिक्षा के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु नीति बनाई जायेगी।

51. मेधावी छात्रों को गुणवत्तायुक्त लेपटोप/टेबलेट उपलब्ध कराने की योजना को व्यावहारिक और विस्तारित किया जायेगा, जिससे कि छात्र–छात्राओं की शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सके।

11 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

1. ए–क्लास आयुष चिकित्सालयों में लैब टैक्निशियन लगाया जाएगा।
2. ऐलोपैथी के अलावा अन्य सभी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का मेडिसन बोर्ड अलग से बनाया जाएगा।
3. Regular Training and Capacity building Programme for in Service Doctors & Nursing Staff के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।
4. जिला हॉस्पिटल में क्षेत्र की आवश्यतानुसार सुपर–स्पेशयलिटी सुविधाएं चालू की जाएंगी।
5. 108 एम्बुलेंस सुविधा का राज्य में प्रभावी रूप से विस्तार किया जाएगा।
6. हर मेडिकल कॉलेज पर सेन्ट्रल रिसर्च लैब पूर्णतया सुसज्जित व बायोटेक्नोलॉजी व बायोस्टेटिसटिक्स स्टाफ के साथ प्रदान किया जाएगा।
7. ट्रोमा हॉस्पीटल में 24 घंटे आपात्कालीन सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
8. राज्य में हर आवश्यकता वाले नागरिक का स्वास्थ्य बीमा लागू करने की योजना पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी।
9. स्वास्थ्य सेवा में जन भागीदारिता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
10. प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा हेतु Mobile Medical Vanकी सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना का नाम **''राजस्थान मुख्यमंत्री धन्वंतरी योजना''** रखा जाएगा। इसके तहत निजी चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु इनके साथ आवश्यक MOU किया जा सके।
11. प्रदेश के PHC, CHC, DISTRICT HOSPITALतथा अन्य चिकित्सालयों के गुणात्मक सुधार हेतु निजी तथा सरकारी चिकित्सालयों के लिए नियामक आयोग अथवा इस प्रकार की अन्य व्यवस्था कायम की जाएगी, अस्पतालों की रैंकिग की जाएगी तथा श्रेष्ठ अस्पताल को पुरस्कृत किया जाएगा।
12. प्रदेश के Blood Bankतथा जांच प्रयोगशालाओं को चरणबद्ध रूप से National Accredition Board for testing & Callibration Laboratories (NABL)से Accredit कराया जाएगा तथा प्रत्येक जिले में इसकी स्थापना की जाएगी।
13. प्रदेश के प्रमुख चिकित्सालयों में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था हेतु HOSPITAL ADMINISTRATOR का एक पृथक पद सृजित किया जाएगा।
14. राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालयों में गुणात्मक प्रतिस्पर्धा लाए जाने हेतु स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से इनकी Rankingकराई जाएगी।
15. प्रदेश में Medical Collegeके अधीनस्थSuper Speciality अस्पतालों की स्थापना की जाएगी।
16. प्रदेश में चिकित्सा सुविधा के योजनाबद्ध विस्तार हेतु Rajasthan University of Health Science के माध्यम से चिकित्सा संदृष्टि दस्तावेज (Vision Document on Health) तैयार कराया जाएगा।
17. प्रदेश में संचालित निःशुल्क दवा तथा निःशुल्क जांच की समीक्षा कर इनमें गुणात्मक सुधार लाकर इसे बेहतर ढ़ंग से लागू किया जाएगा।
18. प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों को देश के सूचकांकों के स्तर पर लाने के साथ–साथ

Milennium Development Goalके तहत निर्धारित सूचकांक के स्तर पर लाने का योजनाबद्ध प्रयास किया जाएगा।

19. वर्तमान में संचालित की जा रही ''जननी सुरक्षा योजना'' की समीक्षा कर एक समग्र योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत् गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए विभिन्न चिकित्सा सुविधाएँ जैसे एन.आई.सी.यू. (Malnutrition Treatment Facilities) इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी।
20. सड़क दुर्घटनाओं में चोटग्रस्त नागरिकों की सुरक्षा एवं उनकी चिकित्सा सुचारू रूप से सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएँगे।
21. राजकीय विद्यालयों के छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक टीकाकरण कराया जाएगा।

12 कर्मचारी कल्याण

1. ईंजीनियरिंग एवं अधीनस्थ संवर्गों सहित अन्य संवर्गों के छठे वेतनमान या इससे पूर्व रही वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।
2. चयनित वेतनमान नियुक्ति दिनांक से पदोन्नति पद दिये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा।
3. ग्रामीण कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता दिया जाएगा साथ ही ग्रामीण कर्मचारियों के मकान किराये में वृद्धि की जाएगी।
4. कर्मचारियों के सेवा रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा।
5. जनता जल योजना कर्मी प्रेरक, विद्यार्थी मित्र, वन मित्र, कृषि मित्र, पैराटीचर, मदरसा पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश कर्मचारी, एन.आर.एच.एम. कर्मी, नरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन, आशा सहयोगिनी, चिकित्सा कर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक, सी.सी.डी.यू आदि को नियमित करने के लिए नीति बनाने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई जाएगी।
6. प्रत्येक कर्मचारी को उसके वेतनमान के अनुरूप सेवाकाल में समयबद्ध पदोन्नतियों (Time bound promotion) के अवसर उपलब्ध करवाये जाएंगे।
7. सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों/अधिकारियों की चिकित्सा सुविधा निजी अस्पतालों में करवाने पर निर्धारित सीमा तक पुनर्भरण राशि देने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।
8. ग्रेच्यूटी भुगतान की राशि की अधिकतम सीमा 10 लाख रू. से बढ़ा कर 15 लाख रू. किया जाएगा।
9. राज्य सरकार की नौकरी में 2 बच्चे होने तक सीमित परिवार की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई जाएगी।
10. डिस्पेंसरियों में कार्यरत वार्डब्वाय को पूर्ण कालिक एवं स्थायी करने पर विचार किया जाएगा।
11. भाजपा की सरकार ने पूर्व में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश में त्वरित गति से लागू किया था। इसी प्रकार से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें आने पर इसे भी लागू किया जाएगा।
12. कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से इस प्रयोजनार्थ उच्च स्तरीय उपसमिति का गठन किया जाएगा। यह समिति कर्मचारी कल्याण से संबंधित विभिन्न मांगों पर समय–समय पर विचार करने के अलावा स्वयं के स्तर पर भी सुझाव देगी।
13. राज्य कर्मचारियों हेतु कर्मचारी कल्याण परिषद् का गठन किया जाएगा।
14. 50 वर्ष से ऊपर के शासकीय कर्मचारियों की अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की तरह अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया जाएगा।

13 अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गो का कल्याण

1. सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की रिक्तियों के बैकलॉग का निर्धारण कर समयबद्ध तरीके से पदों को भरा जाएगा।
2. सफाई कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार भर्ती की जाएगी।
3. अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृति की राशि बढ़ाई जाएगी तथा विद्यार्थियों के अभिभावको की वार्षिक आय की सीमा भी बढाई जाएगी।
4. अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को शिक्षा हेतु **रियायती** ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
5. अनुसूचित जाति व जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।
6. अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की आबादी भूमि पर स्टेट ग्रांट के अन्तर्गत मिलने वाले पट्टे की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
7. अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों में डॉ. अम्बेड़कर सामुदायिक केंद्र बनाये जाएंगे।
8. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अम्बेड़कर छात्रावास बनाए जाएंगे। वर्तमान मे संचालित अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रावासों की आधारभूत सुविधाओं का विकास करके छात्रावासो को सुविधाजनक बनाया जाएगा।
9. अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के उद्यमियों का स्वरोजगार हेतु ऋण तथा लघु उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि रियायती दर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी।
10. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के उद्यमियों को कौशल वृद्धि (Skill Development)के कार्यक्रम को सभी जिला मुख्यालयों पर संपादित किया जाएगा।
11. स्टेट बीपीएल के लोगों को बीपीएल के समान सुविधाएं उपलब्ध करवायेंगे एवं भामाशाह योजना का विस्तारीकरण कर निम्नलिखित समूहों को स्टेट बीपीएल में सम्मिलित करायेंगे।
    - समस्त पंजीकृत बीपीएल परिवार।
    - चिन्हित क्षेत्रों के अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड अनुसार चयनित अनुसूचित जाति/जनजाति।
    - समस्त लघु एवं सीमान्त काश्तकार
    - समस्त शारीरिक विकलांग (40 प्रतिशत से अधिक)
    - समस्त विधवा, परित्यक्ता एवं समकक्ष

अनुसूचित जनजाति आयोजन क्षेत्र

12. आदिवासी बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शोध केन्द्र की स्थापना पर विचार किया जाएगा।
13. हम आदिवासी इलाकों में उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन देगें जिसमें एग्रो प्रोसेसिंग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएग

14. जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा एवं उस क्षेत्र के समयबद्ध विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी। TSP AREA के लिए पृथक से Service Cadreका गठन किया जाएगा जिससे कि इस क्षेत्र में सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को इसी क्षेत्र के सभी वर्गो द्वारा भरा जा सकेगा।
15. इस क्षेत्र में सुदृढ प्रशासनिक ढांचा हेतु वर्तमान Block/उपखण्ड का पुनर्गठन कर छोटे Block/ उपखंड का गठन किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रो में प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो सके।
16. पूर्व में गठित की गई हाडी रानी Battalion के तर्ज पर, इस क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुलिस Battalion का गठन किया जाएगा।
17. इस क्षेत्र के लघु एवं सीमांत काश्तकारों के ऋणमाफी की योजना बनाई जाएगी।
18. इस क्षेत्र के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर भाजपा शासन द्वारा पूर्व में घोषित किए गए ग्रामीण युवा केंद्रों का गठन कर इन्हे पुनर्जीवित किया जाएगा।
19. तीरंदाजी तथा हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अकादमी की स्थापना इस क्षेत्र में की जाएगी।
20. The Rajasthan Forest (Amendment) Bill 2012 में इस क्षेत्र के काश्तकारों/ग्रामीणों के हितों के विपरीत लाए गए प्रावधानों को पुनः संशोधित किया जाएगा।
21. इस क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों को National Highway/ State Highway/Mega Highway से जोडा जाएगा।
22. अनुसूचित जाति–जनजाति छात्रावास के लिए वार्डन एवं अन्य आवश्यक पदों को शीघ्र भरा जाएगा जिससे इन छात्रावासों का संचालन सही ढ़ंग से हो सके।
23. जनजाति क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए नई नीति बनाई जाएगी, जिससे उस क्षेत्र में निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन मिल सके।
24. 10 वर्षों से जनजाति क्षेत्र के जंगल की जमीन पर बसे आदिवासियों के कब्जों केप्रकरणों का विधिक परीक्षण कर नियमन की दिशा में त्वरित गति से सार्थक प्रयास किए जाएंगे।

14 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण,सामाजिक सुरक्षा एवं पाक विस्थापित

1. विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित गुर्जर, राईका, रेबारी(देवासी), बंजारा,बालदिया, लबाना, गाड़िया लुहार व गाडोलिया जातियों की विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण की सभी संवैधानिक बाधाएं दूर कर 5 प्रतिशत आरक्षण लागू करने तथा संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने के लिए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भाजपा की सरकार ने पूर्व में भी इस दिशा में ठोस कदम उठाए थे तथा आगे भी इस दिशा में काम करने के लिए कृत संकल्प हैं।
2. देवनारायण योजना के अंतर्गत वर्तमान में किए जा रहे विकास कार्य अनवरत् जारी रहेंगे। तथा इस हेतु अतिरिक्त बजटीय प्रावधान भी किया जाएगा।
3. देवरानारायण विकास बोर्ड का कार्यक्षेत्र चयनित गांव के स्थान पर कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान प्रदेश किया जाएगा एवं इसका वार्षिक बजट 500 करोड किया जाएगा।
4. विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के समान सुविधाएं दी जाएगी।
5. विशेष पिछड़े वर्ग को भी अनुसूचित जनजाति की भांति वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा एवं सब्सिडी दिलवायी जाएगी।
6. विशेष पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु रियायती दर/ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
7. देश के विभाजन के समय अन्य क्षेत्रों से आए विस्थापितों की आवासीय व व्यावसायिक व संस्थानिक संपत्तियों की समस्याओं के निपटारे हेतु सार्थक प्रयास कियेजायेंगे।
8. राजस्थान के पाठ्य पुस्तकों की कक्षा पांच, छः, सात, आठ, नौ एवं दस में वीर दुर्गादास के हटाये गये पाठों को पुनः पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, जैसा कि कक्षा बारह के इतिहास में है। इसके अलावा महाराणा प्रताप, महाराव शेखा, अमर सिंह राठौड़ व मीरा बाई के जीवन चरित्र को भी पाठ्य पुस्तकों में जोड़ा जाएगा तथा शेखावटी विश्वविद्यालय का नामांकन महाराव बीकाजी शेखावटी विश्वविद्यालय किया जाएगा।
9. राजस्थान में भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी एवं इसमें सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
10. कर्मकांड, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए **''आदि शंकराचार्य बोर्ड''** का गठन किया जाएगा।
11. अगस्त, 2008 में भाजपा शासन में सरकार ने आर्थिक पिछड़े अनारक्षिण सवर्णों के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक को विधानसभा में पारित करवाया था। इसे लागू करवाने हेतु सार्थक प्रयास किएजाएंगे।
12. वरिष्ठ नागरिको के स्वास्थ्य चिकित्सा, सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की जाएगी।
13. वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए अलग रंग का कार्ड बनाया जाएगा, उन्हें अलग लाईन में प्राथमिकता देकर डॉक्टरों द्वारा देखा जाएगा।
14. वरिष्ठ नागरिकों की वर्तमान वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी।
15. राज्य के जिला मुख्यालयों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रणाली पर वृद्धाश्रमों की स्थापना की जाएगी।
16. राजस्थान में **''वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी''** का गठन किया जाएगा।
17. आपात्काल में रहे बंदियों को भाजपा सरकार द्वारा जारी आदेश 1.4.2008 पुनः लागू किया जाएगा ताकि इन्हें स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों के समकक्ष रखा जा सके।

18. वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल के अंतर्गत बुजुर्गो के लिए अस्पताल/वार्ड, एमडी बुजुर्गो कोर्स की शुरूआत और रविवार को ओपीडी क्लीनिक की व्यवस्था शामिल है।
19. राज्य में मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या बढ़ी है। इस नव मध्यम वर्ग की श्रेणी को परिभाषित किया जाएगा और इस श्रेणी के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएगी। इसी तरह आमदनी और अन्य मानदंड़ों पर आधारित, मध्यम वर्ग को परिभाषित किया जाएगा ताकि उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जा सकें।
20. सामूहिक विवाह के लिए सहायता दी जाएगी चाहे वह किसी भी जाति के हों या उनके आय का स्तर कुछ भी हो।
21. ओबीसी की क्रीमी लेयर के लिए सीमा में संशोधन कर उसे बढ़ाया जाएगा।
22. पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए विशेष छात्रावास सुविधा दी जाएगी।
23. राज्य में वर्तमान में विशेष पिछड़ावर्ग के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समकक्ष शिक्षा के क्षेत्र में सभी परिलाभ देय है तथापि इनकी समीक्षा कर इनमें आवश्यक सुधार किया जाएगा।
24. नाई समाज के लिए केश कला बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
25. प्रदेश में हेयर ड्रेसर की दुकानों को 2.00 लाख रू. तक का ऋण रियायती दर से आसान शर्तों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
26. निःशक्त एवं वृद्धजनों तथा विधवाओं के लिए वर्तमान में लागू योजनाओं को और अधिक सरल एवं सुदृढ़ कर पेंशन राशि को सीधे ही बैंक खातों में हस्तांतरित करने हेतु भामाशाह योजना के अंतर्गत इसकी क्रियान्विती की जाएगी।
27. पाकिस्तान से आए विस्थापितों के आवास, रोजगार, शिक्षा एवं नागरिकता से जुड़े हुए विषयों को समयबद्ध रूप से निस्तारण हेतु राज्य सरकार प्रयास करेगी एवं केन्द्र सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।
28. विकलांग तथा विशेष योग्य जनों को वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा कर इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे कि इन्हें शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई नहीं हो तथा ये अपनी आजीविका उपार्जित कर सकें।
29. विधवा, परित्यक्ता, असहाय महिला के कौशल विकास एवं रोजगारपरक शिक्षा तथा पुनर्वास की योजना बनाई जाएगी, जिससे वह आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त हो जाए।
30. निःशक्तजनों के लिए सरकार नौकरी में आरक्षण को कड़ाई से लागू किया जाएगा।
31. निःशक्तजनों के कौशल– विकास एवं रोजगार तथ पुनर्वास हेतु ठोस नीति बनाकर इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।
32. ऑटो चालक / रिक्शा चालकों का बीमा कराने के लिए सरकार द्वारा अंशदान देने की नीति बनाई जायेगी।
33. विकलांग लोगों के लिए पाठ्यक्रम, संस्थान की स्थापना पर विचार किया जाएगा।
34. मध्य वर्ग आयोग के गठन पर विचार किया जाएगा।
35. फुटपाथ पर रहने वाले तथा कचरा बीनने वाले बच्चों, खासकर बच्चियों के कल्याण के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी।
36. मानसिक मंद लोगों के लिए आजीवन आश्रय गृह बनाये जाएंगे।
37. विस्तृत झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम प्रारम्भ कर आवास, सड़क व पानी का प्रबंधन किया जाएगा।
38. लोक कलाकार कल्याण मंडल का गठन किया जाएगा।
39. कुल देवताओं के धर्मस्थलों के विकास पर जोर दिया जाएगा।

15 वन संरक्षण एवं पर्यावरण

1. राजस्थान के वन क्षेत्र को बढाने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा की जाएगी। औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के प्रभावी प्रयास व वन्य जीव संरक्षण का कार्य किया जाएगा। राजकीय वन क्षेत्रों में परम्परागत उपज कैर–खींप की फली आदि को संरक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य वन सहकारी समिति के गठन को उचित प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया जाएगा।
2. वनौषधि के लिए वन भूमि का पट्टा दिया जाएगा।
3. विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेंगे।
4. राज्य के वनक्षेत्रों को प्रभावी रूप से आच्छादित करने हेतु परिणामजनक योजना बनाई जाएगी।
5. बाघ अभ्यारण से प्रभावित होकर विस्थापित होने वाले परिवारों को बसाने की योजना की समीक्षा कर उसे रोजगार, आवास एवं जीविकोपार्जन के स्थाई संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी।
6. National Park तथाSanctuaries के प्रभावी प्रबोधन (Monitoring) के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो समय–समय पर ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण कर इनके रख–रखाव तथा विकास के संबंध में आवश्यक सुझाव देगी।
7. वन क्षेत्र एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विधालयों में वन एवं पर्यावरण CLUB की स्थापना की जाएगी तथा छात्र–छात्राओं का वन क्षेत्र/अभ्यारण में शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाएगा।
8. वनवासी युवकों की वन संरक्षण व वृक्षारोपण में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी।

16 अल्पसंख्यक कल्याण

1. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए प्राथमिक/उच्च माध्यमिक/तकनीकी/आईटीआई में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा।
2. परम्परागत लघु उद्योगों को चिन्हित कर अल्पसंख्यक महिला को व्यवसाय करने हेतु अलग से रियायती दर से ऋण दिये जाएंगे। जैसे पतंग बनाना, कशीदाकारी, जरीवर्क, मनीहारी, रंगाई, छपाई, कोटा डोरिया, बंधेज, मौजडी आदि के कार्य हेतु सब्सिडी देने का प्रयत्न किया जाएगा।
3. वक्फ संपत्तियां जो गजट में हैं, इनका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड /नगरपालिका/परिषद/निगम के रिकार्ड में दर्ज करवाया जाएगा तथा वक्फ रिकार्ड दुरूस्त करवाया जाएगा।
4. वक्फ संपत्तियों से सरकारी /अर्द्ध सरकारी विभागों के कब्जें हटवाये जाएंगे तथा अदालतों से वक्फ बोर्ड के पक्ष में हुए फैसलों पर तत्काल अमल करवाया जाएगा साथ ही अदालतों में लंबित पड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा।
5. कब्रिस्तान, श्मशान की चारदीवारी बनाने हेतु विशेष योजना का निर्माण कर वृक्षारोपण/आने जाने हेतु पगडंडियां बनवाई जाएंगी।
6. अल्पसंख्यक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु छात्रवृति योजना को सुचारू किया जाएगा।
7. राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों के कब्जे या राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रयोजनार्थ वक्फ जायदादों का किराया तय करने के लिए अलग से सरकारी अनुभाग बनाकर किराया 6 माह में भुगतान एवं इस राशि से अल्पसंख्यक महिलाओं, विधवाओं, विकलांगों व बीपीएल के सदस्यों के उत्थान में ही खर्च किएजाएंगे।
8. दस्तकारों को लघु लोन प्रक्रिया आसान करते हुए लोन उपलब्ध करवाएजाएंगे।
9. मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा इन्हे Vocational Education से जोड़ने हेतु Pilot योजना शुरू की जाएगी, जिससे रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त हो सके।
10. अल्पसंख्यकों के छात्र–छात्राओं के लिए आवश्यकतानुसार वर्तमान छात्रावास में अथवा पृथक छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
11. अल्पसंख्यकों के लिए रोजगारपरक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण के लिए तथा उनके स्वरोजगार हेतु ठोस कदम उठाए जाएंगे।
12. मदरसों में आधुनिक शिक्षा पर जोर व मदरसों का उन्नयन एवं कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा।

17 श्रम कल्याण

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा उच्च शिक्षा तक निःशुल्क दी जाएगी।
2. असंगठित वर्ग के मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
3. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विश्वकर्मा/स्वावलंबन पैंशन योजना में सरकार का अंशदान 1000 रू. वार्षिक के स्थान पर 1500 रू. वार्षिक किया जाएगा।
4. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पंजीयन सहायता/अन्य सहयोग हेतु नोडल एजेंसी खोली जाएगी।
5. युवा कामगारों के प्रशिक्षण हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इसके तहत आगामी पांच वर्षों में इस से पन्द्रह लाख कुशल युवा कारीगर तैयार किए जाएंगे।
6. 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक सहयोगी को राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस में उसी के अनुसार रियायत दी जाएगी।
7. संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों हेतु न्यूनतम मजदूरी को महंगाई मूल्य सूचकांक के आधार पर घोषित किया जाएगा।
8. असंगठित क्षेत्रों के कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाएगी।
9. राजस्थान के प्रत्येक निजी औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान के निवासियों हेतु रोजगार प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
10. उद्योगपतियों से उद्योग लगाने के साथ–साथ श्रमिक कॉलोनियों के लिए आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
11. ट्रेड यूनियनों/मजदूर संगठनों के पंजीयन की प्रक्रिया सरल की जाएगी।
12. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहचान पत्र दिए जाएंगे, इस बात की भी व्यवस्था की जाएगी कि उन्हें अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए।
13. कौशल–प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के स्वरोजगार हेतु बैंक लोन तथा आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
14. गृह विहीन श्रमिकों के लिए सस्ते मकान, सुविधाजनक किश्तों सहित उपलब्ध कराए जाएंगे।
15. प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना बनाई जाएगी।

18 व्यापार, उद्योग तथा खनिज

1. प्रदेश में व्यापारियों हेतु 2 लाख रू की दुर्घटना बीमा योजना लागू की जाएगी। उक्त दुर्घटना बीमा योजना का **प्रीमियम में राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाएगा।** व्यवसायिक टैक्स विभाग में वैट में रजिस्टर्ड सभी व्यावसायिक उक्त दुघर्टना बीमा योजना से लाभान्वित किएजाएंगे।
2. किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर प्रदेश में व्यापारियों को एक लाख, डेढ़ लाख व दो लाख तक पूंजी उपलब्ध कराने के लिए बैंको के माध्यम से ट्रेडर्स क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जाऐंगे।
3. प्रदेश में ग्रामीण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को रियायती दर पर 10 लाख रू. तक के उद्यमी क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंको से परामर्श कर योजना बनाने हेतु प्रयास किया जाएगा।
4. स्टील फेब्रिकेशन एवं सैंड स्टोन ग्रामीण उद्योगों को वैट/जी.एस.टी. की दरों में कमी लाई जाऐगी।
5. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन पंजीकृत इकाईयों के उत्पादों की बिक्री पर लगी हुई सीमा को बढाने अथवा समाप्त करने पर विचार किया जाएगा।
6. लघु उद्योगों में कार्यरत उद्यमी व कामगारों की कार्य करते समय मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दिए जाने की योजना बनाई जायेगी।
7. वर्तमान किराया नियंत्रण अधिनियम की समीक्षा करेंगे।
8. राज्य में नई औद्योगिक निवेश नीति जारी की जाएगी।
9. औद्योगिक नीति में खादी कमीशन द्वारा घोषित ग्रामाद्योग को कुटीर उद्योग की नई श्रेणी में लाया जाएगा।
10. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा लागू की गई नई प्रदूषण नीति की समीक्षा की जाएगी।
11. राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों के इन्फ्रास्ट्रैचर पर विशेष योजना बनाई जाएगी।
12. प्रदेश में टैक्सटाईल इकाईयों के विकास के लिए व्यापक नीति बनाई जाएगी और किशनगढ़, ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा सहित अन्य क्षेत्र को और अधिक विकसित किया जाएगा।
13. कम पानी की खपत वाले उद्योगो को प्रोत्साहित किया जाएगा।
14. उद्योगों की एकल खिड़की योजना को कम्प्यूट्रीकृत और सुविधाजनक बनाया जाएगा।
15. कृषि आधारित उद्योगो के प्रयोजन के लिए भूमि उपलब्ध कराने की नीति को सरल किया जाएगा।
16. माइनिंग को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा ताकि इकाईयों को नई आधुनिक मशीनें लाने में मदद की जा सकेगी।
17. सरकारी विभागों द्वारा समय समय पर भरने वाली रिटर्नों का सरलीकरण किया जाएगा।
18. रिहायशी भूमि पर बने होटलों के नियमन की योजना बनाई जाएगी।
19. ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले नॉन पॉलूशन उद्योग ग्रीन कैटेगरी को भूमि रूपान्तरण में पूर्ण छूट दी जाएगी।

20. कुटीर एवं दस्तकारी उद्योगों को आर्थिक स्तर पर प्रोन्नत किया जाएगा।
21. राज्य के रत्न व्यवसाय को विश्वस्पर्धी बनाने के लिए जयपुर में खरड़ व्यापार केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
22. राज्य में इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर कृषि प्रसंस्करण, खनिज प्रसंस्करण, पशुधन आधारित उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर घोषित कर सेक्टर स्पेशिफिक नीतियाँ प्रतिपादित एवं क्रियान्वित की जाएगी।
23. हाथकरघा/हस्तशिल्प निदेशालय की स्थापना की जाएगी।
24. बुनकर समितियों एवं बनुकरों को 1 लाख तक के मूल कर्जे पर लगने वाले ब्याज को कम करने अथवा माफ करने हेतु नीति बनाईजायेगी।
25. हाथकरघा/हस्तशिल्प निदेशालय की स्थापना की जाएगी।
26. हैंडलूम से संबंधित संस्थाओं को वित्तीय रूप से मजबूत करेंगे एवं ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे।
27. हैंडलूम संस्थाओं को सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए, कार्यशाला बनाने के लिए जमीन प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे।
28. वैट एक्ट के तहत रिटर्न पेश करने में चूक होने पर शास्ति आरोपित करने के प्रावधान को व्यावहारिक किया जाएगा।
29. जहां त्रैमासिक रिटर्न जा रहे हों वहां वार्षिक रिटर्न पेश करने की आवश्यकता को समाप्त किया जाएगा।
30. रीको द्वारा भूमि के बदले दी जाने वाली विकसित औद्योगिक भूमि वाले प्लाटों पर समय सीमा में उत्पादन शुरू करने की शर्त को समाप्त किया जाएगा।
31. समुद्री जल को नहर के द्वारा बाडमेर व जालौर जिले के निकट लाकर बन्दरगाह विकसित किया जाएगा।
32. प्रदेश में Indian School of Mines की शाखा खोलने का प्रयास किया जाएगा अथवा IIT JODHPUR / NIIT JAIPUR में Mining Engineering का पाठ्यक्रम कराया जाएगा जिससे प्रदेश में Mining EngineeringकेSkilled Manpower उपलब्ध हो सके।
33. प्रदेश में Petroleum Engineering Instituteकी स्थापना हेतु सार्थक प्रयास किए जाएंगे।
34. कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस से मिलने वाले राजस्व अंश को संबंधित जिलो के विकास पर खर्च करने हेतु ''मरूस्थल विकास बोर्ड''"Desert Development Board" की स्थापना की जाएगी।
35. Petroleum Corporation का मुख्यालय Barmer में किया जाएगा।
36. खनिज निर्यात विशेषकर Gems Jewellery, Granite को प्रोत्साहित करने की नीति बनाई जाएगी।
37. Delhi-Mumbai Industrial Corridor का 39% भाग राजस्थान से गुजरता है। इस Corridor का औद्योगिकीकरण की दृष्टि से भरपूर लाभ लेने हेतु RIICO से पृथक Rajasthan DMIC Development Corporation का गठन किया जाएगा जिससे Corridor क्षेत्र का औद्योगिक विकास सुनियोजित ढ़ंग से संभव हो सके।
38. प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने हेतु 'औद्योगिक विकास सड़क परियोजना' प्रारम्भ की जाएगी। प्रमुख खनन उत्पादन क्षेत्रों में बेहतर रेल तथा सड़क परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।

39. प्रदेश में औद्योगिक विकास के वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चयनित उद्योगपतियों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में **राजस्थान औद्योगिक रत्न सम्मान समारोह योजना** लागू की जाएगी।
40. प्रदेश के RIICOऔद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक छः माह में एक बार औद्योगिक विकास सशक्तिकरण शिविर लगाए जाएंगे जिनकी उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी।
41. प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढावा देने के लिए Rajasthan Chambers of Commerce / CII/FICCI तथा इसी प्रकार के अन्य मुख्य संगठनों से MOU/Partnership कर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत राजस्थान निर्माण Volunteer के रूप में MBA/Commerce Graduate को निर्धारित समय अवधि के लिए ऐसे संगठनों के माध्यम से रखा जाएगा। ये Volunteers सरकार तथा निवेश करने वाले उद्योगपतियों के मध्य एक सेतु का कार्य करेंगे।
42. उद्योग विभाग के अंतर्गत गठित उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के Rajasthan Industrial Trade fair Authority के रूप में गठित करने हेतु योजना बनाई जाएगी।
43. उद्योग के पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों को त्वरित् गति से जारी करवाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कर पर्यावरण स्वीकृति दिलाने का प्रयास करेंगी।
44. ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु ''**मुख्यमंत्री राजस्थान ग्रामीण औद्योगिकीकरण योजना**'' बनाई जाएगी, जिसके तहत Rural Industrial Hubकायम किए जाएंगे।
45. प्रदेश में Handicraft Development Park की स्थापना हेतु योजना बनाई जाएगी। इसके साथ–साथ ग्रामीण दस्तकारों की क्षमता संवर्धन हेतु **मुख्यमंत्री राजस्थान दस्तकार स्वालंबन एवं क्षमता संवर्धन योजना** लाई जाएगी।
46. वेल्यू एडीसन (मूल्यवर्धन) एवं वनोपज आधारित उद्योगों को विशेष पैकेज दिया जाएगा।
47. खाद्य आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
48. कपड़े और जूट की थैलियों जैसे पर्यावरणप्रिय विकल्पों को अपनाते हुए पॉलिथिन के अनियंत्रित उपयोग को रोकने की नीति बनाई बनाई जाएगी।
49. राज्य के नये औद्योगिक निवेश नीति के अन्तर्गत औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चिन्हित क्षेत्र में उद्योग की स्थापना पर 3 से 5 वर्षों तक रियायती दर से करारोपण अथवा करमुक्त करने की नीति लाई जायेगी।

19 आर्थिक एवं बजट

1. राज्य को विशेष दर्जा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा।
2. गरीबी उन्मूलन, विकास निधि की पुनर्स्थापना एवं एफआरबीएम एक्ट, 2005 में सम्मिलित कर सुनिश्चित कराना।
3. जीएसटी टैक्स की स्पष्ट नीति का निर्धारण कर राज्य के वित्तीय अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित कराना।
4. राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों पर वेट विसंगति को दूर करना एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर बल्क लाइसेंसिंग की नीति का पुनर्निर्धारण करवाना।
5. बाड़मेर को एक सम्पूर्ण बंदरगाह बनाने की योजना को क्रियान्वित करना। बाड़मेर में स्थापित रिफाइनरी का विस्तारीकरण एवं राज्य हित में केन्द्र से आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त करना एवं रोजगार सृजन में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
6. टीएसपी और एसएससीपी योजनाओं में जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर बजट सुनिश्चित कर उनके खातों (सब–हेड) में स्थानान्तरण सुनिश्चित कराना।
7. राज्य एवं पर्यावरण हित में पीपीपी मोड पर वनों के संरक्षण की नीति निर्धारित करना।
8. जेंडर बजटिंग की अनिवार्यता लागू करना एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।
9. उड्डयन सेवाओं का विस्तार कर एलेट्रोपोलिस (ग्रीनफील्ड) के माध्यम से लोजिस्टिक सेवाओं का विस्तार करना एवं उक्त उड्डयन सेवाओं के लिए आधारभूत संरचना स्थापित कर भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार से वर्ष 2008 की प्रस्तावना के अनुरूप योजना क्रियान्वित करना।
10. शून्य बजट की प्रणाली पर भी विचार करने की आवश्यकता।
11. बजट की पारदर्शिता को जन सामान्य तक सुनिश्चित कराना।
12. केन्द्र के बजट पारण के तर्ज पर प्रदेश के बजट की प्रक्रिया को पारित करना। विधानसभा में स्टेडिंग समिति के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
13. सरकारी सड़को एवं किसानो की खातेदारी भूमि के रिक्त भूमि पर सरकर द्वारा पेड़ लगाकर उसके संवर्घन, सुरक्षा एवं लाभ में किसान को 50 प्रतिशत भागीदारी वाली योजना बनाई जाएगी।
14. प्रदेश के वार्षिक बजट को तैयार करने की प्रक्रिया में नागरिकों तथा विभिन्न संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु On-Line Computer Applicationतैयार किया जाएगा तथा Budget में शामिल किए जाने वाले सुझाव के प्रणेता को पुरस्कृत किया जाएगा।

20 सहकारिता

1. प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने, सशक्त करने की नीति निर्धारित की जाएगी एवं उनके सुदृढ़ीकरण हेतु अलग से एक सहकारित विकास कोष का गठन किया जाएगा।
2. जो केन्द्रीय सहकारी बैंक, बैजनाथन आयोग के बाद भी अपनी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं कर पाईं है, उनके लिए अलग से एक कोष की स्थापना की जाएगी।
3. कस्बाई स्तर पर महिला सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा एवं ये समितियां उपभोक्ता स्टोर्स का संचालन भी करेगी।
4. ग्रामसेवा सहकारी समितियों को APEX Bankसे उसी प्रकार जोडा जाएगा जैसे व्यावयायिक बैंक कम्प्यूट्रीकृत प्रणाली से जुडे हुए हैं, जिससे कि नरेगा तथा अन्य व्यक्तिगत लाभ की योजनाओ से सम्बंधित नगद राशि को सीधे ही बैंक खाते में हस्तांतरण सम्भव हो सके एवं वित्तिय सम्मिलितिकरण (Financial Inclusion)को बढ़ावा मिल सके।
5. सहकारी आंदोलन को गति देने के लिए शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।
6. **''सहकारिता आयोग''** के गठन पर विचार किया जाएगा।

21 पुलिस, पूर्व सैनिक एवं होमगार्ड

1. राजस्थान राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर **''राजस्थान पुलिस कल्याण बोर्ड''** का गठन किया जाएगा।
2. पुलिस कार्मिकों के बच्चो हेतु सैनिक स्कूल की तर्ज पर ''पुलिस स्कूल'' का निर्माण किया जाएगा।
3. राजस्थान पुलिस एकेडमी में कार्यरत हॉस्पिटल को बडे स्तर पर बनाया जाएगा।
4. राजस्थान के सभी होमगार्ड जवानों को आवश्यकतानुसार नियमित ड्यूटी का अवसर दिया जाएगा।
5. वर्तमान मानदेय भत्ता अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी लागू किया जाएगा।
6. राजस्थान के शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों में निजी सुरक्षागार्ड के स्थान पर राज्य सरकार की ओर से होमगार्ड जवानों को लगाया जाएगा।
7. राजस्थान में पद स्वीकृत होने पर 2009 के एक साथ राजस्थान में 3500 जवानों को बिना किसी कारण डिस्चार्ज किया गया था, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी।
8. समस्त होमगार्ड जवानों को वर्दी व सिलाई राशि/भत्तो का भुगतान किया जाएगा।
9. शहीद सैनिको की पत्नियों को राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा दी जाएगी।
10. पार्किग पैलेस के कान्ट्रेक्ट हेतु भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
11. वीरांगनाओं को विशेष कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे कार्ड दिखाने पर उन्हें कार्यालयों में उचित मान सम्मान दिया जाएगा।
12. पूर्व सैनिकों, विधवा व वीरांगनाओं की पेंशन संबंधी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा।
13. मानव जनित आपदाओं के लिए पुलिस विभाग में पृथक प्रशासनिक ढांचा बनाया जाएगा जिसके अन्तर्गतState Disaster Response force (SDRF)का पृथक् पुलिस बल सृजित किया जाएगा तथा इसे आवश्यक संसाधनो से लैस किया जाएगा ।
14. थानों में लम्बित FIR के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया जाएगा जो लम्बित FIR से संबंधित अन्वेषण को त्वरित गति से पूर्ण करेंगे।
15. राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिये सतत् कार्य करने वाला तंत्र विकसित किया जाएगा।
16. प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों तथा घनी आबादी वाले पुराने नगरीय क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजनाबद्ध रूप से किया जाएगा।

22 स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास

1. राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में जल मल निस्तारण हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी।
2. शहरी क्षेत्रों से यातायात दबाव कम करने के लिए जोधपुर, कोटा व उदयपुर में रिंग रोड बनाई जाएगी। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी रिंग रोडस के साथ बी.आर.टी.एस. एवं धरातल पर द्रुतगामी रेल परिवहन व्यवस्था हेतु भूमि भी आरक्षित की जाएगी।
3. राज्य में शहरों के मास्टर प्लानों को विकासोन्मुखी बनाने के लिए उक्त मास्टर प्लानों की समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यक परिवर्तन किएजाएंगे।
4. शहरी जनसंख्या का आगामी दशकों में फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2025 की आवश्यकतानुसार मास्टर प्लान से जुड़े बाहरी क्षेत्र के सैक्टर प्लान बनाये जाएंगे। विकसित करने की योजना भी बनाई जाएगी।
5. फ्लैट्स खरीदने वालो के हितों की रक्षा करने हेतु अपार्टमेंट एक्ट में व्यापक परिवर्तन कर व्यावहारिक व प्रभावी बना कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाएगी।
6. जयपुर शहर के सर्वांगीण, सुसंगत एवं सुनियोजित विकास हेतु ''बिल्डिंग बाय लॉज्'' में सभी संबंधित पक्षों से व्यापक विचार विमर्श कर भेदभाव रहित यूजर फ्रेंडली बिल्डिंग बायलॉज बनाये जाएंगे। जिसमें सभी वर्गो के उपभोक्ताओं को एफ. ए.आर. में समुचित एवं समान नीति का लाभ मिलेगा।
7. शहरों में भूमि की बढ़ती कीमतों से मध्यम वर्गीय तथा उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए शहरों में घर खरीदना बहुत कठिन होता जा रहा है। परिणामस्वरूप शहरों का अनियंत्रित विस्तार हो रहा है, जो जनता तथा सरकार के लिए कई समस्याएँ उत्पन्न कर रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए शहरों में वर्टिकल डवलपमेंट (ऊंची ईमारतें) को बढ़ावा दिया जाएगा।
8. दो दशक से भी अधिक समय से राज्य की राजधानी जयपुर में पृथ्वीराज नगर, लालकोठी क्षेत्र तथा ईकोलोजिकल जोन में बस चुकी कॉलोनियों की समस्या चली आ रही है, जिसके कारण जयपुर के नियोजित विकास पर काफी प्रभाव पड़ा है तथा राज्य की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भाजपा की सरकार इन विषयों/समस्याओं का त्वरित निदान करेगी।
9. राज्य में अधिक संख्या में पर्यटक आये तथा राज्य में आने वाले पर्यटक अधिक दिनों तक राज्य में रहे, इसलिए शहरों में पर्यटन से जुड़े आधारभूत ढ़ाचे को मजबूत बनाया जाएगा। इस हेतु हेरिटेज संरक्षण के साथ साथ रोप–वे, स्नो वर्ल्ड, म्जूजिकल फाउण्टेन, हेरिटेज वॉक आदि के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा।
10. दिल्ली मुंबई फ्रेट कोरिडोर तथा दिल्ली मुंबई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर के राजस्थान के मार्ग के निकटवर्ती क्षेत्रों को राज्य सरकार ढांचागत रूप से विकसित करेगी।
11. राज्य में सेमिनार आयोजित करने हेतु संभाग स्तर पर बड़े कनवेंशन सेंटर बनाये जाएंगे।
12. राज्य में शहरी क्षेत्रों में बड़े खेल मैदान विकसित किएजाएंगे।

13. स्वायत्तशाषी निकायों के प्रभावों का जनता द्वारा सीधा चुनाव प्रणाली वर्तमान व्यवस्था की सर्वागीण समीक्षा की जाएगी। संभाग स्तर पर नगर सुधार न्यासों के स्थान पर विकास प्राधिकरण गठित किएजाएंगे।
14. एक लाख की जनसंख्या वाले शहरों में नगर सुधार न्यास का गठन किया जाएगा।
15. शहरी क्षेत्रों में पशुपालकों के लिए सुविधायुक्त गोकुल गांव बनाये जाएंगे।
16. स्वायत्तशासी संस्थाओं में आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को समय समय पर लागू किया जाएगा।
17. पारदर्शी और समयबद्ध आबंटन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य स्तर पर एक समयबद्ध पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना की जाएगी।
18. राज्य के सभी शहरी इलाकों में पानी की भूमिगत निकासी के लिए चरणबद्ध और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए योजनाएं बनाई जाएगी।
19. प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक धरोहर /पुरातत्व महत्व के भवन इत्यादि की सुरक्षा एवं रख–रखाव की दृष्टि से **मुख्यमंत्री राजस्थान धरोहर सौंदर्यीकरण एवं पुनरूद्धार योजना** प्रारम्भ की जाएगी।
20. ADB (Asian Development Bank)द्वारा वित्त पोषित Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (RUIDP) का विस्तार करते हुए अन्य नगरीय क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा जिससे नगरीय क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जिससे नगरीय क्षेत्रों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ हो सकेगी।
21. नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन सेवा प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने हेतु पृथक से अग्निशमन–सेवा का गठन किया जाएगा।
22. नगरीय क्षेत्रों में स्थित पुराने क्षेत्रों में असुरक्षित ढंग से संचालित हो रहे गोदाम तथा थोक विक्रेताओं को शहर में ही अन्य सुरक्षित स्थानों पर योजनाबद्ध रूप से स्थानांतरित करने की योजना बनाई जाएगी, जिससे ऐसे क्षेत्र सुरक्षित हो सकें।
23. जयपुर शहर के पुराने क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सूचना–प्रोद्योगिकी तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा तथा इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में स्थित पुराने रिहायशी क्षेत्र की सुरक्षा हेतु चरणबद्ध कार्य–योजना बनाई जाएगी।
24. संभाग मुख्यालय के शहरों तथा अन्य बड़े शहरों के यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए Flyovers, ROB, Road Underbridgesतथा Parkingस्थल योजनाबद्ध रूप से विकसित किए जाएँगें।
25. शहरी क्षेत्रों को Slum Freeकरने की योजना बनाई जाएगी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तथा बी.पी.एल. परिवारों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई जाएगी।
26. पुरानी आबादी जमीन को मान्यता एवं पट्टा नवीनीकरण के अभियान चलाया जाएगा।
27. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उचित व्यवस्था की जाएगी।
28. नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए अधोसंरचना बोर्ड की स्थापना हेतु प्रयास किये जाएंगे।
29. शहरी क्षेत्रों के लिए खसरे (भू–अभिलेख) का नया प्रारूप बनाया जाएगा।

23 सुशासन

1. विद्युत एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित बनायी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त समय हेतु विद्युत आपूर्ति की जाएगी। विद्युत एवं पेयजल दरों में अतार्किक बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
2. मिलावट, कम नाप–तोल व कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास किएजाएंगे।
3. आम आदमी के सरकारी विभागो से संबंधित अभाव अभियोगो के त्वरित निराकरण के लिए एक जन शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा।
4. विभागीय तालमेल को बढ़ाने हेतु अंतरविभागीय समन्वय समिति गठित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव स्वयं करेंगे। इस समिति में उन योजनाओं/कार्यक्रमों पर विचार किया जाएगा जिसमें अन्तरविभागीय विषय शामिल हों।
5. विभिन्न स्तरों पर नियमित समन्वय बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिससे कानून व्यवस्था, पेयजल, बिजली, अकाल, मौसमी बीमारी इत्यादि के सम्बंध में नियमित रूप से चर्चा सम्भव हो सके एवं समय रहते उक्त बिन्दुओं के सम्बंध में प्रभावी कार्यवाही की जा सके।
6. प्रत्येक विभाग पॉच वर्षीय संदृष्टि पत्र (Vision Document) के साथ–साथ आगामी पच्चीस वर्षों का भी दीर्घकालीन संदृष्टि पत्र समयबद्ध रूप से तैयार करेगा।
7. विभिन्न स्तरों पर किए जा रहे दौरे, निरीक्षण तथा रात्रि विश्राम को कम्प्युट्रीकृत कर प्रभावी बनाया जाएगा।
8. विभिन्न विभागों के प्रबोधन हेतु निर्धारित मापदन्ड के विरूद्ध अर्जित उपलब्धियों का सत्यापन Third Party द्वारा कराए जाने की योजना बनाई जाएगी।
9. e-District परियोजनाओं की क्रियान्विति समयबद्ध एवं त्वरित गति से की जाएगी, जिससे नागरिकों से सम्बन्धित सेवायें 24X7 प्राप्त हो सके।
10. नागरिक सेवाओं को end-to-end उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिनियम/नियम में आवश्यक संशोधन हेतु उच्च स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा जो विभागवार संचालित की जाने वाली नागरिकोन्मुखी सेवाओं को end-to-end कम्प्युट्रीकृत करने हेतु नियमों में संशोधन के साथ–साथ प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बंध में ठोस सुझाव भी देगी।
11. वर्तमान में खनन, वन, नगरीय विकास विभाग (Town Planning) तथा राजस्व विभाग के नक्शों का scale भिन्न–भिन्न है, जिससे नागरिकों को असुविधा होती है, क्योंकि नक्शों कोsuperimpose नहीं किया जा सकता है तथा जिसकी वजह से नक्शें की विभागवार व्याख्या की जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो इस कठिनाई को दूर करने हेतु कारगर उपाय बताएगी तथा सम्बंधित नियमों में संशोधन के प्रस्ताव भी देगी।

12. प्रत्येक विभाग के सहायतार्थ विषय–विशेषज्ञों की सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। जिससे विभाग की योजनाएँ न केवल सही रूप से बन सके बल्कि उनका क्रियान्वयन भी प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पर सम्भव हो सके।
13. Direct Cash Benefit Scheme को यथा संभव आधार (AADHAR) से जोड़ा जाएगा तथा भामाशाह योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना की क्रियान्विति से वित्तीय सम्मिलितीकरण (Financial inclusion) को बढावा मिलेगा।
14. Block तथा जिला स्तर पर नियमित रूप से सतर्कता समितियों की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें क्रमशः उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं संबंधित पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त भाग लेंगे जिससे नागरिकों की समस्याओं का पूर्ण संवेदनशीलता के साथ समाधान संभव हो सके।
15. ACB (Anti Corruption Bureau) के न्यायालयों में लंबित प्रकरणो के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार ACB -Fast Track Court स्थापित किए जाएंगे तथा ACB के पुलिस अधिकारीगण के लिए विशेष प्रशिक्षण/क्षमता संवर्धन (Capacity building) हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगें।
16. भाजपा का मानना है कि ग्रामीण भारत में स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शुद्ध पेयजल की कमी संविधान प्रदत्त मानवीय जीवन की गरिमा के विरूद्ध है। हम इस सुराज संकल्प पत्र के माध्यम से वादा करते हैं कि सरकार उन योजनाओं को प्राथमिकता देगी जो ग्रामीण स्वच्छता और शुद्ध पेयजल एवं स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु प्रभावी रूप से कार्य करे।
17. भू–राजस्व कानून तथा इससे संबंधित अन्य कानून एवं विभिन्न विभागों के अधिनियम/नियम को कम्प्युट्रीकृत करने के उद्देश्य से तथा इसके अंतर्गत उपलब्ध विवेकाधिकार को कम से कम अथवा शून्य करने हेतु कार्यदल का गठन कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
18. इस घोषणा पत्र में वर्णित घोषणाओं/नीति के साथ–साथ बजट घोषणाओं तथा मुख्यमंत्री की घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं प्रबोधन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
19. राज्य में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह संभाग एवं जिला स्तरों पर पुनः आयोजित किये जाएंगे। जिससे वहां का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

24 पर्यटन

1. राजस्थान की सरकार सांस्कृतिक पर्यटन की नई अवधारणा को विकसित कर प्रदेश में पर्यटन को नये आर्थिक आयाम भी देगी, और सुचिता एवं पर्यावरण का भी ध्यान रख कर पर्यटन स्थलों के विकास एवं रखरखाव की वृहद योजना बनाई जाएगी।
2. होटल हैरीटेज व्यवस्था को दृष्टि में रखकर पर्यटन नीति बनाई जाएगी।
3. घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन के साथ राज्य में ग्रामीण पर्यटन के लिए भी नीति बनाई जाएगी। इससे ग्रामीण अंचल में ऐतिहासिक एवं पुरातत्व महत्व के स्थलों की सार संभाल होगी। गांवो में आधारभूत सुविधाओं के साथ रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे।
4. मेवाड़ काम्पलेक्स योजना को अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा।
5. राज्य के नैसर्गिक संसाधनों और विरासत को अन्तराष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करने हेतु विशेष योजना बना कर पर्यटन स्थलों के रख रखाव, विकास, इको पर्यटन व जनस्वास्थ्य सुविधाओ की व्यवस्थाओं को वृहत बना कर पर्यटन को राज्य का प्रमुख आकर्षण का केन्द्र बनाया जाएगा।
6. अगले 5 वर्षो में राज्य में वर्तमान होटल कमरों की संख्या में 3 गुणा वृद्धि किए जाने हेतु विशेष योजना बनाई जाएगी।
7. राज्य में नये ट्यूरिस्ट सर्किट स्थापित किएजाएंगे ताकि पर्यटकों को अधिक स्थानों पर भ्रमण हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
8. पर्यटक रूचि क्षेत्रों में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किएजाएंगे और सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी ताकि कलाकार कौशल दिखा सके और आजीविका प्राप्त कर सकें।
9. दुर्लभ कलाओं तथा संगीत कौशल को विशेष अनुदान द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा।
10. जिन क्षेत्रों में पर्यटकों की विशेष रूचि है वहां पर हस्तकला केन्द्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि हस्तशिल्प कारीगरों की अधिक बिक्री हो और उनकी आय में वृद्धि हो।
11. पर्यटन उद्योग हेतु लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
12. पर्यटकों की रूचि के क्षेत्रों में विशेष बस स्टैण्ड़ों पर शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।
13. स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट होटलों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
14. राज्य में ''टेम्पल टाऊन'' अधिनियम बना कर तीर्थाटन का विकास किया जाएगा।
15. पर्यटकों की रूचि के क्षेत्रों में पर्यटकों की सुरक्षा हेतु विशेष पर्यटक पुलिस की व्यवस्था की जाएगी।

16. पर्यटक गाईड़ो को प्रशिक्षित और उनका प्रमाणीकरण करने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी।
17. विभिन्न स्थानों पर विशेष सांस्कृतिक उत्सव व मेले प्रारम्भ किएजाएंगे।
18. राज्य की धरोहर व संस्कृति, सभ्यता एवं गौरवशाली इतिहास को संरक्षित एवं इसके विकास हेतु राजस्थान धरोहर विकास परिषद के लिए प्राधिकरण का पुनर्गठन कर ऐसी धरोहरों का योजनाबद्ध रूप से विकास किया जाएगा।
19. राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए स्थाई तंत्र विकसित किया जाएगा।
20. राज्य में विभिन्न तीर्थस्थानों पर पदयात्राओं के माध्यम से तीर्थाटन करने, यात्रिओं की सुरक्षा व सुविधा, श्रद्धा के संरक्षण हेतु सड़क किनारे छायादार श्रद्धा मार्गो का निर्माण किया जाएगा।
21. भारत एवं राजस्थान के महान संतों के जीवन और उनकी शिक्षाओं की जानकारी देने के लिए संत नगरी की स्थापना की जाएगी।
22. ग्रामीण पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाएगी।
23. प्रदेश में पर्यटक स्थलों के लिए Packageउपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधुनिक सुविधा युक्त Luxury Coach की सेवा प्रारम्भ की जाएगी।
24. विदेशी पर्यटकों तथा Chartered वायुयान से आने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु Air-Strips के रख रखाव एवं सुरक्षा हेतु प्रदेश के नागरिक उड्यन निदेशालय को सुदृढ किया जाएगा तथा Air-Taxi सेवा भी प्रारम्भ की जाएगी।
25. पर्यटन संबंधी आवश्यक जानकारी Call Centre के माध्यम से तथा IVRS (Integrated voice Response system) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

IVRSकी सुविधा अंग्रेजी, हिन्दी व अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी।

26. मानगढ़ धाम, त्रिपुरा सुन्दरी, रामदेवरा, तनोट, नाथद्वारा, सांवलिया जी, पुष्कर, साहवा, बूढ़ा जोहड, अजमेर दरगाह शरीफ, नाकोडा जी, श्री महावीर जी, कैला देवी, मेंहदीपुर बालाजी, डिग्गी कल्याण जी, बेणेश्वर धाम तथा इन जैसे ही अन्य धार्मिक एवं सास्कृतिक स्थलों के समग्र विकास के साथ साथ प्रदेश के धार्मिक स्थलों एवं देश के तीर्थ स्थलों के भ्रमण हेतु विशेष योजना बनाई जाएगी।
27. प्रदेश को फिल्म उद्योग के लिए आकर्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जाएगी तथा फिल्म सिटी के निर्माण की दिशा में कार्य किया जाएगा।
28. राजस्थान दिवस को पूर्ववत समारोह पूर्वक मनाया जाएगा।
29. सप्ताहांत पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

25 पत्रकार कल्याण

1. राज्य में पत्रकारों के लिए लागू मेडीक्लेम पॉलिसी को केशलैस किया जाएगा। इस सुविधा को पांच लाख रू. से बढ़ाकर दस लाख तक की जाएगी।
2. मेडीक्लेम सुविधा के दायरे को बढ़ाकर पत्रकार पर आश्रित परिवारजनों को भी शामिल किया जाएगा।
3. लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों एवं केवल, टी.वी. नेटवर्क एवं दैनिक समाचार पत्र–पत्रिकाओं के लिए अलग से विज्ञापन नीति बनाई जाएगी।
4. पत्रकारों को कैंसर, हार्टअटैक जैसी गंभीर बीमारियों से मिलने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को सरल बनायाजाएगा। इस योजना में आश्रित परिजनों को भी शामिल किया जाएगा।
5. पत्रकारिता अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृति योजना प्रारंभ की जाएगी।
6. PRO के कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे संबंधित पत्रकारों को आवश्यक जानकारी सुचारू रूप से मिल सके।
7. PRO के नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे राज्य सरकार की योजनाओं की अद्यतन जानकारी उन्हें रहे तथा उनकी क्षमता का संवर्धन भी हो सके।
8. पत्रकार कल्याण की योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत पत्रकारों के लिए विभिन्न शहरी आवासीय योजनाओं में आरक्षित भूखंड/फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा सकेंगे, मीड़िया कर्मियो के उपकरण क्रय हेतु रियायती ऋण, मीड़िया कर्मियों के लिए दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा सकेंगी।
9. प्रेस फोटोग्राफरों की दुर्घटना सहायता एवं बीमा योजना प्रारम्भ की जाएगी।

26. वकील कल्याण

1. न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं हेतु लाईब्रेरी कक्ष का निर्माण किया जाएगा एवं इस हेतु ई–लाईब्रेरी की आधारभूत सुविधा स्थापित की जाएगी।
2. न्यायालय परिसर में वकीलों के बैठने हेतु बार रूम एवं यथासंभव चैम्बर निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु सार्थक प्रयास किएजाएंगे।
3. जिला स्तर पर वकीलों के आवास हेतु ग्रुप हाउसिंग की योजना को व्यावहारिक और परिणामजनक बनाया जाएगा।
4. न्यायालय परिसर में पक्षकारों के लिए बैठने हेतु पक्षकार कक्ष एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किएजाएंगे।
5. वकीलों एवं न्यायालयों से जुड़ी हुई मूल समस्याओं के निराकरण हेतु समयबद्ध रूप से समाधान के लिए स्थायी तंत्र विकसित किया जाएगा एवं समयबद्ध रूप से समस्याओं के व्यावहारिक निस्तारण हेतु प्रयास किया जाएगा।

27. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

1. उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत स्थापित ''उपभोक्ता विवाद निस्तारण मंच'' को सुदृढ़ किया जाएगा, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।
2. खाद्य पद्वार्थो की गुणवत्ता एवं मापदंडो के संबंध में छात्र–छात्राओं में जागृति लाने के साथ–साथ इस संबंध में व्यापक प्रचार, प्रसार किया जाएगा।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए इसका आवश्यक विस्तार भी किया जाएगा। इसके उपभोक्ताओं को आधार/भामाशाह योजना से जोड़ा जाएगा ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लीकेज पर प्रभावी अंकुश लग सके तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिल सके।
4. खाद्य सुरक्षा कानून को कम्प्यूटरीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कराने हेतु योजनाबद्ध प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि पूर्ण पारदर्शिता बनी रहें।
5. वर्तमान में खाद्य सुरक्षा कानून तथा प्रदेश में सस्ते दर पर वितरित किए जा रहे गेहूं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, जिससे बी.पी.एल परिवारों के अलावा अन्य पात्र परिवारों को 35 किलो गेहूं तथा अन्य आवश्यक सामग्री रियायती दर पर/निःशुल्क मिल सकें।
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हुए कर्मियों की समस्याओं की समीक्षा कर सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।
7. खाद्य सुरक्षा कानून को राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सुधारात्मक रूप से लागू किया जाएगा।

भाजपा सुराज संकल्प पत्र समिति 2013

1.	श्री गुलाबचंद कटारिया	अध्यक्ष
2.	श्री घनश्याम तिवाड़ी	सदस्य
3.	श्री ओंकार सिंह लखावत	सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़	सदस्य
5.	श्री राजपाल सिंह शेखावत	सदस्य
6.	श्री राव राजेन्द्र सिंह	सदस्य

1.	डॉ. बीरू सिंह राठौड़	सहयोगी सदस्य
2.	श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला	सहयोगी सदस्य

Lkjkt gsYiykbu Vky Ýh 1800&1800&880

Download e-copy from www.bjpraj.in

भारतीय जनता पार्टी
राजस्थान प्रदेश

बदलेंगे राजस्थान
बदलेगा हिन्दुस्तान

भाजपा

एक नए राजस्थान की ओर...

आओ साथ चलें

भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान द्वारा प्रसारित